

# मन्सव-ए-खिलाफ़त

## (खिलाफ़त की गरिमा)

जमाअत के नुमाइन्दों से एक महत्वपूर्ण खिताब



### भाषण

हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद

खलीफ़तुल मसीह द्वितीय<sup>रज़ि०</sup>

नाम पुस्तक	: मन्सब-ए-खिलाफत
Name of book	: Mansab-E-Khilafat
लेखक	: हज़रत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफ़तुल मसीह द्वितीयؑ
Writer	: Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Khalifatul Masih II
अनुवादक	: अली हसन एम.ए., एच.ए.
Translator	: Ali Hasan M.A., H.A.
सैटिंग	: नईम उल हक्क कुरैशी मुरब्बी सिलसिला
Setting	: Naeem Ul Haque Qureshi Murabbi silsila
संस्करण	: प्रथम संस्करण (हिन्दी) मई 2018 ई.
Edition	: 1st Edition (Hindi) May 2018
संख्या, Quantity	: 1000
प्रकाशक	: नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक	: फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)

## ਮन्सब-ए-खिलाफ़त

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ  
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ طَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ  
(अल बक्र: - 130)

इस आयत में अल्लाह तआला ने आँहजरत सल्लल्लाहो अलौहि व सल्लम के बारे में एक पेशगोई का वर्णन किया है जो हजरत इब्राहीम अलौहिस्सलाम की दुआ के रंग में है। जिसे हजरत इब्राहीम अलौहिस्सलाम ने मक्का के नवनिर्माण के समय की थी कि:-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ  
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ طَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ

यह दुआ एक व्यापक रंग में है। इसमें अपनी नस्ल में से एक नबी के पैदा होने की दुआ की। फिर उसी दुआ में यह बताया कि नबियों के क्या काम होते हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या होता है? साथ यह भी दुआ की कि उनमें एक रसूल हो जो उन्हीं में से हो।

## नबियों के प्रादुर्भाव का उद्देश्य

वह रसूल जो पैदा हो उसका पहला काम यह हो कि –

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

वह तेरी आयात उनको पढ़कर सुनाए

दूसरा काम وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَبَ (युअल्लिमुहुमल किताब) अर्थात्

उनको किताब सिखाए।

तीसरा काम وَالْحِكْمَةَ (वल हिकमत) अर्थात् उनको हिकमत सिखाए।

चौथा काम وَيُرَكِّبُهُمْ (व युज्जकीहिम) अर्थात् उनको पाक करे।

मैंने ग़ौर करके देखा है कि दुनिया के सुधार का कोई काम ऐसा नहीं जो इससे बाहर रह जाता हो। इस दृष्टि से आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का काम दुनिया के तमाम सुधारों को अपने अन्दर रखता है।

## खलीफ़ाओं का काम

नबियों के प्रादुर्भाव के उद्देश्य पर ग़ौर करने के बाद यह समझना बहुत आसान है कि खलीफ़ाओं का भी यही काम होता है। क्योंकि खलीफ़ा जो होता है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि अपने पेशवा के काम को जारी रखे। इसलिए जो काम नबी का होगा वही खलीफ़ा का होगा। अब अगर आप ध्यानपूर्वक उपरोक्त आयत को देखें तो एक तरफ़ नबी का काम और दूसरी तरफ़ खलीफ़ा का काम स्पष्ट हो जाएगा।

मैंने दुआ की थी कि इस अवसर पर क्या बोलूँ? तो अल्लाह तआला ने मेरा ध्यान इस आयत की ओर फेर दिया और मुझे इसी आयत में वह सारे काम नज़र आए जो मेरे उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि इस अवसर पर कुछ बातें पेश कर दूँ।

## सच्ची जमाअत देने पर खुदा का शुक्र

इससे पहले कि मैं दलील पेश करूँ मैं खुदा तआला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने एक ऐसी जमाअत पैदा कर दी जिसके दिए जाने का नबियों से खुदा तआला का वादा होता है। अतः मैं देखता हूँ कि चारों तरफ से सिर्फ़ दीन के खातिर इस्लाम की इज़ज़त के लिए अपना रुपया और समय खर्च करके लोग आए हैं। मैं जानता हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि अल्लाह तआला ऐसे निष्ठावान लोगों की मेहनत को कभी नष्ट नहीं करेगा। वह उन्हें अच्छे से अच्छा प्रतिफल देगा क्योंकि वे उस वादे के अनुसार आए हैं जो खुदा तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किया था। इसलिए जब मैंने कल दर्स में उन दोस्तों को देखा तो मेरा दिल खुदा की प्रशंसा और शुक्र से भर गया कि ये लोग ऐसे आदमी के लिए आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चालबाज़ है। फिर मेरे दिल में और भी जोश पैदा हुआ जब मैंने देखा कि वे मेरे दोस्तों के बुलाने पर ही जमा हो गए हैं। इसलिए आज रात को मैंने बहुत दुआएँ कीं और अपने रब्ब से कहा कि खुदाया मैं तो बहुत ग़रीब हूँ, मैं इन लोगों को क्या दे सकता हूँ तू ही अपने खजानों को इन पर खोल दे और इनको जो सिर्फ़ दीन के लिए यहाँ जमा हुए हैं अपने फ़ज़्ल से हिस्सा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि खुदा तआला इन दुआओं को ज़रूर सुनेगा। मुझे याद नहीं मैंने जब कभी दर्देदिल और बड़ी गिड़गिड़ाहट से दुआ की हो और वह कुबूल न हुई हो। बच्चा भी जब दर्द से चिल्लाता है तो माँ की छातियों में दूध उतर आता है। जब एक बच्चे के लिए क्षणस्थायी और सामयिक लगाव के बावजूद उसके चिल्लाने पर छातियों में दूध उतर आता है तो यह असम्भव है कि खुदा तआला की सृष्टि में से कोई गिड़गिड़ाकर दर्देदिल से उससे दुआ करे

और वह कुबूल न हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह दुआ जरूर कुबूल होती है। यह व्यवहार मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर आदमी के साथ है। अतः खुदा तआला फ़रमाता है:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ طُاحِبٌ  
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَفْلِيْسْتَحِبُّوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي  
(الْأَلْ بَكْرَ: - 187)  لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

कि हे रसूल? जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझसे पूछें, तो उनसे कह दे कि मैं तुम्हारे निकट हूँ और पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ और उसे कुबूल करता हूँ। यहाँ यह नहीं फरमाया कि मैं केवल मुसलमान या किसी खास देश या खास क्रौम के आदमी की दुआ सुनता हूँ। बल्कि कोई भी हो, कहीं का हो और कहीं पर हो।

इस क्लबूलियत-ए-दुआ की शर्त यह होती है कि-

فَلَيْسَ تَحِبُّوا إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَيُّ

पहले मेरी हस्ती को स्वीकार करे और मेरे आदेशों का पालन करे और मुसलमान होकर मोमिन होने के बाद ईमान में तरक्की करे। काफ़िर (अधर्मी) की दुआएँ इसलिए कुबूल करता हूँ कि वह मुझ पर ईमान लाए और मोमिन बन जाए और मोमिन की इसलिए कुबूल करता हूँ कि वह हिदायत और विश्वास में उन्नति करे। खुदा तआला के जानने और पहचानने का सबसे अच्छा ढंग दुआ ही है। मोमिन की उम्मीदें इसी से बढ़ती हैं। अतः मैंने भी बहुत दुआएँ की हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कुबल होंगी।

फिर मैंने उसके सामने दुआ की कि मैं इन लोगों के सामने क्या कहूँ, तू खुद मुझे बता और समझा। मैंने इस फ़िल्टा को देखा जो इस समय पैदा हआ है मैंने अपने आपको इस योग्य न पाया कि उसके

सामर्थ्य और समर्थन के बिना इसको दूर कर सकूँ। मुझे उसी पर सहारा है इसलिए मैं उसी के सामने झुका और दुआ की कि तू ही मुझे बता कि मैं इन लोगों को क्या कहूँ जो जमा हुए हैं, उसने मेरे दिल को इसी आयत की ओर फेरा और मुझ पर उन रहस्यों को खोला जो इसमें बयान हुए हैं। मैंने देखा कि खिलाफ़त के सारे कर्तव्य और काम इस आयत में बयान कर दिए गए हैं, तब मैंने इसी को इस समय तुम्हारे सामने पढ़ा।

### ला खिलाफ़ता इल्ला बिल् मशवरति (अर्थात् बिना परामर्श के खिलाफ़त जायज़ नहीं)

मेरा मानना है कि बिना मशवरा के खिलाफ़त जायज़ नहीं। इसी सिद्धान्त पर तुम लोगों को यहाँ बुलवाया गया है और मैं खुदा तआला के फ़ज़ल से इस पर क्रायम हूँ और दुआ करता हूँ कि इस पर क्रायम रहूँ। मैंने चाहा कि मशवरा लूँ लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या मशवरा लूँ। मेरे मित्रों ने कहा कि मशवरा होना चाहिए तो मैंने उसका स्पष्टीकरण नहीं पूछा। चूँकि मैं मशवरा को पसन्द करता हूँ इसलिए उनसे सहमत हुआ और उन्होंने आपको बुला लिया। मुझे कल तक पता न था कि क्या कहूँ लेकिन जब खुदा से दुआ की तो यह आयत मेरे दिल में डाली गई कि इसे पढ़ो।

### हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की व्याख्या -

इस आयत की तिलावत से पता चलता है कि नबी या खलीफ़ा का पहला काम यह होता है कि वह अल्लाह की आयतें लोगों को सुनाए। अतः आयत उस निशान या दलील को कहते हैं जिससे किसी चीज़ का पता चले। अतः नबी जो अल्लाह की आयतें पढ़ता है उसका यह अर्थ है कि वह ऐसी दलीलें सुनाता और पेश करता है जो अल्लाह तआला

की हस्ती और उसकी तौहीद(एकेश्वरवाद) पर संकेत करती हैं और उनके द्वारा अल्लाह तआला के फ़रिश्तों, रसूलों, और उसकी किताबों का समर्थन और सत्यापन होता है। अतः इस आयत में यह दुआ की गई है कि वह लोगों को ऐसी बातें सुनाए जिनसे उनको अल्लाह पर और उसके नबियों और उसकी किताबों पर दृढ़ विश्वास प्राप्त हो।

### पहला काम -

इससे ज्ञात हुआ कि नबी या उसके जानशींन खलीफ़ा का पहला काम तब्लीग-ए-हक़ और लोगों को नेकियों की तरफ़ बुलाना होता है। वह सच्चाई की तरफ़ लोगों को बुलाता है और अपनी बात को दलीलों और निशानों के द्वारा विश्वसनीय बनाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वह सच्चाई की तब्लीग करता है।

### दूसरा काम -

फिर नबी या खलीफ़ा का दूसरा कर्तव्य इस आयत में यह बयान किया गया है कि –

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب (युअल्लिमु हुमुल किताब) अर्थात् लोगों को किताब सिखावे। इन्सान जब इस बात को मान ले कि अल्लाह तआला है और उसकी तरफ़ से दुनिया में रसूल आते हैं और उन पर अल्लाह के फ़रिश्ते उतरते हैं और उनके माध्यम से अल्लाह तआला की किताबें नाज़िल होती हैं तो इसके बाद दूसरा मरहला कर्म का आता है। क्योंकि खुदा तआला पर ईमान लाने के बाद दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अब ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए तो उस ज़रूरत को पूरा करने वाली आसमानी शरीअत होती है और नबी का दूसरा काम यह होता है

कि नए ईमान लाने वालों को शरीअत सिखाए कि उन हिदायतों और शिक्षाओं का पालन करना ज़रूरी होता है जो खुदा के रसूलों के द्वारा आती हैं। अतः इस अवसर पर नबी का दूसरा काम यह बताया गया है कि वह उन्हें कर्तव्यों की शिक्षा दे।

किताब का अर्थ क्रानून और कर्तव्य है। कुर्�आन मजीद में यह शब्द कर्तव्य के अर्थों में भी प्रयोग हुआ है जैसे -

(अल बकर: - 184)      **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ**

(तुम पर रोज़ों का रखना अनिवार्य किया गया है)

इस क्रम को अच्छी तरह याद रखो कि पहला काम लोगों को इस्लाम अर्थात् सच्चाई और नेकियों की तरफ़ लाना था और दूसरा उनको शरीअत (क्रानून) सिखाने और उसका अनुपालक बनाने का।

### **तीसरा काम -**

कर्म के लिए एक और बात की ज़रूरत होती है। इन्सान के अन्दर किसी काम को करने के लिए उस समय तक जोश और शौक नहीं पैदा हो सकता जब तक उसे उसकी हक्कीकत और हिक्मत समझ में न आ जाए। इसलिए तीसरा काम यहाँ यह बयान किया कि - **وَالْحِكْمَةُ -** (वल् हिक्मत)

फिर वह उनको हिक्मत की शिक्षा दे, अर्थात् जब वे व्यवहारिक रूप से काम करने लग जाएँ तो फिर उन कामों की हक्कीकत और हिक्मत उन्हें बताए। जैसे एक आदमी ज़ाहिरी तौर पर नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने की हिदायत और शिक्षा देना (युअल्लिमु हुमुल् किताब) के अन्तर्गत आता है और नमाज़ क्यों फ़र्ज़ (अनिवार्य) की गई और इसके क्या उद्देश्य हैं? इसकी हक्कीकत से अवगत कराना यह तालीम-ए-हिक्मत है। इन दोनों बातों का उदाहरण कुर्�आन शरीफ़ से ही

देता हूँ। कुर्अन शरीफ में आदेश है कि - (अकीमुस् सलात) نماज़ें पढ़ो, यह आदेश मानो (युअल्लिमु हुमुल् किताब) के अन्तर्गत है दूसरी जगह यह फरमाया -

**إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (الْأَنْوَافُ - 46)

(इनस् सलाता तनहा अनिल् फ़हशाइ वल् मुन्करि) अर्थात् नमाज बुराइयों और अश्लील बातों से रोकती है, इसमें नमाज की हिक्मत बयान फ़रमायी है कि नमाज का उद्देश्य क्या है? इसी तरह फिर नमाज की मुद्राएँ रुकूअ, सुजूद, क्रयाम और क्रअदा की हिक्मत बताई जाए और खुदा के फ़ज़ल से मैं यह सब बता सकता हूँ। अतः नबी या उसके खलीफ़ा का तीसरा काम यह होता है कि वह शरीअत के आदेशों की हिक्मत से लोगों को आगाह करता है।

अतः ईमान के लिए يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ (यत्त्वा अलैहिम् आयातिही) फिर उसके बाद व्यवहारिक कार्यों के लिए يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) फिर उन कामों में एक जोश और शौक पैदा करने और उनकी हकीकत बताने के लिए وَالْحِكْمَةَ (वल् हिक्मत) फ़रमाया। नमाज के बारे में मैंने केवल एक उदाहरण दिया है अन्यथा अल्लाह तआला ने सारे आदेशों में हिक्मतें रखी हैं।

## चौथा काम

फिर चौथा काम यह फ़रमाया وَيُرِكِّبُهُمْ (व युज्जक्कीहिम) कि हिक्मत की शिक्षा देने के बाद उन्हें पवित्र करे। पवित्र करने का काम मनुष्य के अपने वश में नहीं बल्कि यह अल्लाह तआला के अधिकार में है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब यह अल्लाह तआला के अधिकार में है तो नबी को क्यों कहा कि वह पाक करे। इसकी व्याख्या

मैं आगे बयान करूँगा, संक्षेप में मैं यहाँ यह बता देता हूँ कि इसका ज़रिया भी अल्लाह तआला ने स्वयं बता दिया है कि पाक करने का क्या ढंग है और वह ज़रिया दुआ है। अतः नबी को जो आदेश दिया गया है कि उन लोगों को पाक करे तो इससे तात्पर्य यह है कि उनके लिए अल्लाह तआला से दुआएँ करे।

इस आयत में अल्लाह तआला ने बड़े-बड़े रहस्य बयान किए हैं उनमें से एक यह है कि यह आयत सूरः बक्रः की तर्तीब का पता देती है। लोगों को सूरः बक्रः की तर्तीब में बड़ी अङ्गचरणें आयीं हैं लोग हैरान होते हैं कि कहीं कुछ बयान हुआ है और कहीं कुछ, कहीं बनी इस्खाइल का वर्णन आ जाता है, कहीं नमाज़ रोज़ा का, कहीं तलाक का, कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबाहसों का, कहीं तालूत का, इन सब बातों का आपस में जोड़ क्या है? अल्लाह तआला ने इस आयत के ज़रिया मुझे यह सब कुछ सिखा दिया है।

### सूरः बक्रः की तर्तीब किस तरह समझायी गयी

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अब्बल<sup>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> के समय की घटना है कि मुंशी फ़र्जन्द अली साहिब ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुर्�আন मजीद पढ़ा चाहता हूँ। उस समय उनसे मेरी ज़्यादा जान पहचान भी न थी। मैंने विवशता प्रकट की, लेकिन उन्होंने बार-बार विनती की। मैंने समझा कि कोई ख़ुदा की मंशा है, इसलिए मैंने उनको कुर्�আন शुरू करा दिया। एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि मेरे दिल में अचानक डाला गया कि आयत رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (रब्बना वबअস् फ़ीहिम् रसूलन मिनहुम) सूरः बक्रः की कुंजी है और उसकी तर्तीब का राज़ इस आयत में रखा गया है। इसके साथ ही सूरः बक्रः की तर्तीब पूरी तरह

मेरी समझ में आ गई। अब अगर आप इस आयत को सामने रखकर सूरः बक्रः की तर्तीब पर गौर करें तो सच्चाई मालूम हो जाएगी।

## सूरः बक्रः की तर्तीब

अब ध्यानपूर्वक गौर करो कि पहले बताया कि कुर्�आन करीम का नाज़िल करने वाला समस्त ब्रह्माण्ड का ज्ञाता खुदा है। फिर बताया कि कुर्�आन मजीद की क्या ज़रूरत है। क्योंकि प्रश्न पैदा होता था कि विभिन्न धर्मों के होते हुए इस धर्म की क्या आवश्यकता थी और यह किताब खुदा तआला ने क्यों नाज़िल की? तो इसका उद्देश्य बताया कि **هُدًى لِلْمُتَّقِين्** (हुद्दल् लिल्मुत्क्रीन) कि सब धर्म तो केवल मुत्तक्की (सदाचारी) बनाने का दावा करते हैं और यह किताब ऐसी है जो मुत्तक्की को और आगे ले जाती है। मुत्तक्की तो उसे कहते हैं जो इन्सानी कोशिश को पूरा करे और आगे ले जाने का यह अर्थ है कि अब खुदा तआला स्वयं उससे बातें करे। फिर मुत्तक्कियों के काम बताए, फिर बताया कि इस किताब के मानने वालों और न मानने वालों में क्या फ़र्क़ होगा? फिर बताया कि इन्सान चूँकि खुदा की इबादत के लिए पैदा हुआ है, इसलिए उसके लिए कोई हिदायतनामा चाहिए और वह हिदायतनामा खुदा की ओर से आना चाहिए, फिर बताया कि खुदा तआला की ओर से हिदायत आती भी रही है जैसे कि पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसके बाद इसको और स्पष्ट किया और आदम का उदाहरण देकर बताया कि यह सिलसिला वहीं खत्म नहीं हो गया बल्कि नबियों का एक लम्बा सिलसिला बनी इस्लाईल में जारी रहा और फ़रमाया जो मौजूद हैं उनसे पूछो कि हमने उन्हें कितनी नेमतें दी हैं, साथ यह भी फ़रमाया, कि ज़ालिम हम से बात करने के पात्र नहीं हो सकते। अब जब ये ज़ालिम

हो गए तो इनको हमारी वाणी सुनने का हक्क नहीं। अब हम किसी और खानदान से (वार्तालाप का) सम्बन्ध जोड़ेंगे और वह बनी इस्माईल के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इब्राहीम अलौहिस्सलाम से खुदा तआला ने वादा किया था कि दोनों बेटों के साथ नेक सुलूक करूँगा। जब एक से वादा पूरा हुआ तो अनिवार्य था कि दूसरे से भी पूरा हो। अतः बताया कि काबा के नवनिर्माण के समय इब्राहीम ने जो दुआ की थी वह अब पूरी होने लगी है और बार-बार

يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ اذْ كُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

(अल बक्रः - 41)

(या बनी इस्माईला उज्ज़कुरू नेमती अल्लती अन्नमतु अलैकुम)

फ़रमाकर यह बता दिया कि अब बनी इस्माईल को शिकायत करने का कोई हक्क नहीं, उनसे वादा पूरा हो चुका है। जिस खुदा ने बनी इस्माईल का वादा पूरा किया, अवश्य था कि वह बनी इस्माईल का भी वादा पूरा करता। अतः इस तरह बनी इस्माईल पर अकाट्य और निर्णायक तर्क पूरा किया कि तुमने मेरी नेमतें पाने के बावजूद नाफ़रमानी की और विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ अपनाकर तुमने अपने आप को मेरी नेमतों से वंचित होने का पात्र ठहरा लिया है। तुम में नबी भी आए और बादशाह भी हुए, अब वही इनाम बनी इस्माईल पर होंगे।

इसके बाद यह सवाल पैदा होता था कि यह दुआ तो थी, पर हम कैसे मानें कि यह आदमी वही मौऊद (कथित) व्यक्ति है। इसका कोई सुबूत होना चाहिए। इसके लिए फ़रमाया, कि मौऊद होने का यह सुबूत है कि इस दुआ में जो बातें बयान की गई थीं वे सब इस मौऊद के अन्दर पाई जाती हैं और उसने इन सब वादों को पूरा कर दिया है इसलिए यही वह आदमी है। यद्यपि सारा कुर्अन शरीफ़ इन चार आवश्यकताओं को

पूरा करने वाला है। लेकिन इस सूरः में सारांशातः सारी बातें बयान कर दीं, ताकि आपत्तिकर्ता पर एक तर्क ठहरे। يَئِلُّوْ اَعْلَيْهِمْ اِيْتِكَ (यत्लू अलैहिम् आयातिका) के सम्बन्ध में इन्हें خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ (इन्ना फ़ी खलक्रिस्समावाति वल् अर्ज़) फ़रमाया और उसके अन्त में ف़रमाया लाइतِ لَقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (लआयातिल् लिक्रौमिन यअकिलून) (अल बक्रः - 165) कि इसमें बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत सी दलीलें हैं जिनसे खुदा और उसकी वाणी, फरिश्ते और नबूवत इत्यादि का सुबूत मिलता है। इसके बाद था यह (يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ) (युअल्लिमु हुमुल किताब) इसके लिए सारांशातः इस्लामी क़ानून के मोटे-मोटे आदेश बयान किए और उनमें बार-बार (كُتِبَ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ) (कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम) फ़रमाकर यह बताया कि देखो इस मौऊद अवतार पर कितनी निष्कलंक (दोषरहित) शरीअत नाज़िल हुई है। इसलिए यह (يَئِلُّوْ اَعْلَيْهِمْ اِيْتِكَ) (यत्लू अलैहिम् आयातिका) का भी पात्र है और (يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ) (युअल्लिमु हुमुल किताब) का भी। तीसरा काम यह बताया था कि लोगों को हिक्मत सिखाए। इसलिए शरीअत के मोटे-मोटे आदेश बयान फ़रमाने के बाद क़ौमी तरक़ी के राज और शरीअतों के उद्देश्यों का वर्णन किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की घटनाओं का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह क़ौमें तरक़ी करती हैं और किस तरह मुर्दा क़ौमें ज़िन्दा की जाती हैं। अतः तुमको भी उन राहों को अपनाना चाहिए। फिर -

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا ۖ  
(अल बक्रः 270)

(व मंयूतल् हिक्मता फ़क़द् ऊतिया ख़ैरन कसीरा) कहकर यह संकेत दिया कि लो तीसरा वादा भी पूरा हो गया, क्योंकि इस रसूल ने हिक्मत की बातें भी सिखा दी हैं। उदाहरणतः हज़रत तालूत की घटना बयान

फ़रमाया कि उन्होंने आदेश दिया था कि नहर से कोई पानी न पिए और पीने वाले को ऐसी सज्जा दी कि उसे अपने से अलग कर दिया और बताया कि जब कोई आदमी छोटा सा आदेश नहीं मान सकता तो वह बड़े-बड़े आदेश कैसे मान सकता है, साथ यह भी बताया कि युद्ध के समय हाकिम की किस तरह आज्ञापालन करनी चाहिए। इसमें यह भी बताया कि ख़लीफ़ाओं पर ऐतराज़ हुआ ही करता है, लेकिन अन्ततः खुदा तआला उनको ही विजयी करता है। इन आदेशों को बताने के बाद लोगों को पाक करने की बारी रह गई थी, इसलिए उसके लिए यह प्रबन्ध किया कि इस सूरः को दुआ पर ख़त्म किया, जिसमें यह बताया कि पवित्र होने का ढंग दुआ है अर्थात् नबी भी दुआ करे और जमाअत को भी दुआ की शिक्षा दे। आप लोग इस सूरः को अब पढ़कर देखें जिस क्रम से वर्णित आयत में शब्द हैं, उसी क्रम से इस सूरः में आयत और किताब और हिक्मत और पाक होने का ढंग बयान फ़रमाया है। इसलिए यह आयत इस सूरः की कुंजी है जो अल्लाह तआला ने मेरे हाथ में दी है।

## सारांश

**सारांशतः** बयान फ़रमाया कि नबी का काम तब्लीग़ करना, अधर्मियों को मोमिन बनाना, मोमिनों को शरीअत पर क़ायम करना, फिर बारीक दर बारीक रहस्यों को समझाना, फिर उनकी तज़िक्या-ए-नफ़स अर्थात् आत्मशुद्धि के लिए दुआ करना, यही काम ख़लीफ़ा के होते हैं। अब याद रखो कि अल्लाह तआला ने इस समय मेरे यही काम रखे हैं।

अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाने में अल्लाह तआला की हस्ती पर दलाइल, फ़रिश्तों पर दलाइल, नबूवत की आवश्यकता और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत पर दलाइल, कुर्�आन शरीफ़ की

सच्चाई पर दलाइल, इल्हाम और वह्यी की आवश्यकता पर दलाइल, दण्ड और प्रतिफल और तक़दीर के विषय पर दलाइल, और क्रयामत इत्यादि पर दलाइल शामिल हैं ये साधारण काम नहीं। इस ज़माने में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और यह बहुत बड़ा काम है।

**फिर يُعْلِمُهُمُ الْكِتَب** (युअल्लिमु हुमुल् किताब) दूसरा काम है कि बार-बार शरीअत की ओर ध्यान दिलाए और खुदा के आदेश एवं निषेद्धादेश के पालन के लिए याददहानी कराता रहे, जहाँ सुस्ती हो उसको दूर करने का इन्तिज़ाम करे। अब तुम खुद गौर करो कि क्या ये काम चन्द कलर्कों के द्वारा हो सकते हैं और क्या खलीफ़ा का इतना ही काम रह जाता है कि वह चन्दों की निगरानी करे और देख ले कि हिसाब-किताब का दफ्तर है, उसमें चन्दा आता है और चन्द मेम्बर मिलकर उसे खर्च कर दें। संस्थाएँ दुनिया में बहुत हैं और बड़ी-बड़ी हैं जहाँ लाखों रुपया सालाना आता है और वे खर्च करती हैं, मगर क्या वे खलीफ़ा बन जाती हैं?

खलीफ़ा का काम कोई साधारण और क्षुद्र काम नहीं, यह खुदा तआला का विशेष सम्मान और इनाम है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पसन्द किया जाता है। तुम स्वयं गौर करके देखो कि यह काम जो मैंने बताए हैं अर्थात् मैंने नहीं खुदा ने बताए हैं, क्या किसी अन्जुमन का सेक्रेटरी इसको कर सकता है? इन विषयों में क्या कोई सेक्रेटरी की बात मान सकता है? या आज तक कहीं इस पर पालन हुआ है? दूसरी जगह को छोड़ो यहीं ही बता दो कि कभी अन्जुमन के द्वारा यह काम हुआ हो? हाँ चन्दों की याददहानियाँ अवश्य होती रहती हैं।

**यह पक्की बात है कि يُعْلِمُهُمُ الْكِتَب** (युअल्लिमु हुमुल् किताब)

के लिए खलीफ़ा ही होता है किसी अन्जुमन के सेक्रेटरी के लिए यह शर्त कहाँ है कि वह पाक भी हो। सम्भव है कि आवश्यकतानुसार ईसाई रखा जावे या हिन्दू हो, जो दफ्तरों का काम सही तौर पर कर सके। फिर वह खलीफ़ा कैसे हो सकता है?

खलीफ़ा के लिए शरीअत (धर्मविधान) की शिक्षा देना आवश्यक है, जो उसके कर्तव्यों में शामिल है। सेक्रेटरी के कर्तव्यों में पढ़कर देख लो कहाँ भी यह शामिल नहीं। फिर खलीफ़ा का यह काम है कि खुदा तआला के आदेशों के रहस्य और उद्देश्य बयान करे जिनकी जानकारी से उनके पालन पर रुचि और शौक पैदा होता है। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी अन्जुमन के सेक्रेटरी के कर्तव्यों में यह बात पाई जाती है? कितनी बार खुदा के आदेशों की हकीकत और फ़िलास़फी अन्जुमन की तरफ़ से आपको समझायी गयी? क्या इस प्रकार के सेक्रेटरी रखे जा सकते हैं? या अन्जुमनें इस विशिष्ट काम को कर सकती हैं? कदापि नहीं।

अन्जुमनें केवल इस काम के लिए होती हैं कि वे बहीखाते रखें और खलीफ़ा के आदेशों को जारी करने के लिए कोशिश करें। फिर खलीफ़ा का यह भी काम है कि वह क्रौम को बुराइयों से पाक करे। क्या कोई सेक्रेटरी इस फ़र्ज़ को अदा कर सकता है? क्या किसी अन्जुमन की तरफ़ से यह हिदायत जारी हुई या तुमने सुना है कि किसी सेक्रेटरी ने कहा हो कि मैं क्रौम के पाक होने के लिए रो-रोकर दुआएँ करता हूँ?

मैं सच-सच कहता हूँ कि यह काम सेक्रेटरी का है ही नहीं और न कोई सेक्रेटरी यह कह सकता है कि मैं क्रौम की पाकीज़गी के लिए रो-रोकर दुआएँ करता हूँ। झूठा है वह जो यह कहता है कि अन्जुमन

यह काम कर सकती है। मैं खुदा की क़सम खाकर कहता हूँ कि कोई सेक्रेटरी यह काम नहीं कर सकता और न कोई अन्जुमन नबी के काम कर सकती है। अगर अन्जुमनें यह काम कर सकतीं तो खुदा तआला दुनिया में नबी और रसूल न भेजता बल्कि उनकी जगह अन्जुमनें बनाता। किसी एक अन्जुमन का नाम बताओ जिसने यह कहा हो कि खुदा ने हमें आदेश दिया है।

दुनिया की कोई अन्जुमन नहीं है जो यह काम कर सके। मेम्बर तो इकट्ठे होकर कुछ विषयों पर निर्णय करते हैं। क्या कभी किसी अन्जुमन में इस आयत पर भी ग़ौर किया गया है? याद रखो खुदा तआला जिसके सुपुर्द कोई काम करता है उसी को बताता है कि तेरे यह-यह काम हैं, यह काम नबियों और खलीफ़ाओं के होते हैं। रुपया इकट्ठा करना छोटे दर्जे का काम है। खलीफ़ाओं का काम लोगों की तरबियत और उनको खुदा तआला के अध्यात्मज्ञान और विश्वास के साथ पाक करना होता है। रुपया तो आर्यों और ईसाइयों बल्कि नास्तिकों की अन्जुमनें भी जमा कर लेती हैं। अगर किसी नबी या उसके खलीफ़ा का भी यही काम हो तो यह उस नबी या खलीफ़ा का घोर अनादर और अपमान है।

यह सच है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उसके ज़िम्मे होते हैं उसको भी रुपयों की ज़रूरत होती है और वह भी ﴿مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ﴾ (मन् अन्सारि इलल्लाह) (अर्थात् अल्लाह के लिए मेरा कौन मददगार है)

कहता है मगर इससे उसका उद्देश्य रुपया जमा करना नहीं होता, बल्कि इस रंग में भी उसकी मंशा वही उद्देश्यों की पूर्ति और क्रौम को बुराइयों से बचाने की होती है। फिर भी इस काम के लिए उसकी गठित

एक अन्जुमन या शूरा होती है जो प्रबन्ध करे। मैं फिर कहता हूँ कि खलीफ़ा का काम रूपया जमा करना नहीं होता और न उसकी इच्छाओं और कार्यों का दायरा किसी मदर्सा के जारी करने तक सीमित होता है यह काम तो दुनिया की दूसरी क्रौमें भी करती हैं।

खलीफ़ा के इस प्रकार के कामों और दूसरी क्रौमों के कामों में अन्तर होता है। वह इन चीज़ों को प्रारंभिक तौर पर स्रोत और साधनों के रूप में अपनाता है या अपनाने की हिदायत देता है। दूसरी क्रौमें इसको एक चरम उद्देश्य के रूप में अपनाती हैं।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मदर्सा बनाया उसका वह उद्देश्य न था जो दूसरी क्रौमों के मदरसों का है। इसलिए याद रखो कि खलीफ़ा के जो काम होते हैं वे किसी अन्जुमन के द्वारा नहीं हो सकते।

### इस क्रौमी इज्ज़ास का क्या उद्देश्य है

अब आपको जो बुलाया गया है तो खुदा तआला ने मेरे दिल में डाला कि मैं उन कामों के बारे में जो खुदा तआला ने मेरे सुपुर्द किए हैं आपसे मशवरा लूँ कि उन्हें किस तरह करूँ? मैं जानता हूँ और इतना ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि वह खुद मेरा मार्गदर्शन करेगा कि मुझे किस तरह उनको करना चाहिए, उसी ने मशवरा का भी आदेश दिया है। ये काम उसने खुद बताए हैं, उसने स्वयं मेरे दिल में परसों मग़रिब या अस्त्र की नमाज़ के समय इस आयत को सहसा डाला जो मैंने पढ़ी है। मैं हैरान था कि बुला तो लिया है लेकिन कहूँ क्या? इस पर उसने यह आयत मेरे दिल में डाली।

अतः नबियों और उनके जानशींनों के यह चार काम हैं उन्हें करने में मुझे तुमसे मशवरा करना है। मैं अब उन कामों को और बढ़ाता हूँ।

## चार नहीं बल्कि आठ

मैं इस आयत की एक और व्याख्या करता हूँ जब इन पर मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि इन चार में और भी अर्थ छुपे थे और इस तरह से यह चार आठ बन जाते हैं।

(يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ) (1) (यत्लू अलैहिम् आयातिही)

इसका अर्थ एक यह करता हूँ कि काफिरों (अधर्मियों) को मोमिन (धर्मपरायण) बना दे अर्थात् तब्लीग करे और दूसरा यह कि मोमिनों को आयात सुनाए। इस दशा में ईमान की तरक्की या ईमान की दुरुस्ती भी एक काम होगा और यह दो हो गए।

(يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ) (2) (युअल्लिमु हुमुल् किताब)

कुर्अन शरीफ की किताब मौजूद है इसलिए इसकी शिक्षा में कुर्अन शरीफ का पढ़ना पढ़ाना और कुर्अन शरीफ का समझाना भी शामिल है। इसलिए काम यह होगा कि ऐसे मदरसे हों जहाँ कुर्अन मजीद की शिक्षा दी जाए। फिर उसके समझाने के लिए ऐसे उस्ताद हों जो उसका तर्जुमा सिखाएँ और वे शास्त्र (विद्याएँ) पढ़ाएँ जो उसके सेवक और समर्थक हों। ऐसी दशा में धार्मिक मदरसों के बनाने और उनको जारी करने का काम होगा। इस शब्द के अन्तर्गत दूसरा काम कुर्अन शरीफ के आदेशानुसार व्यवहृत कराना होगा। क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की होती है एक किसी किताब का पढ़ा देना और दूसरे उस पर व्यवहृत कराना।

(وَالْحِكْمَةَ) (3) (हिक्मत) हिक्मत की शिक्षा के लिए परामर्श और प्रस्ताव होंगे। क्योंकि इस काम के अन्तर्गत शरीअत (धर्मविधान) के आदेशों के रहस्यों से अवगत कराना ज़रूरी है।

(وَيُرَكِّبُهُمْ) (4) (युज्ज़क्कीहिम्) इसके अर्थों पर गौर किया तो एक तो यह है जो मैं बयान कर चुका हूँ कि दुआओं के द्वारा जमाअत

को गुनाहों से बचाने की कोशिश करे। फिर इब्नि अब्बास रजि. के अनुसार इसका अर्थ अल्लाह तआला के आदेशों का पालन और उस पर सच्ची श्रद्धा पैदा करना भी है। इसलिए एक अर्थ तो यह हुआ कि गुनाहों से बचाने की कोशिश करे, इसलिए जमाअत को गुनाहों से बचाना ज़ारूरी ठहरा, ताकि वह गुनाहों में न पड़े। इसके अतिरिक्त दूसरे अर्थों की दृष्टि से यह काम ठहरा कि केवल गुनाहों से ही न बचाए बल्कि उनमें नेकी पैदा करे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पहले तो वे उपाय अपनाए जिनसे जमाअत के गुनाह दूर हों फिर उनको अच्छा बनाकर दिखावे, फिर उन्हें मानवता के उच्च स्तरों पर ले जावे और उनमें श्रद्धा और आज्ञापालन की भावना पैदा करे। फिर "युज़क्कीहिम्" का तीसरा अर्थ यह है कि वह उनको बढ़ाए, इन अर्थों की दृष्टि से धार्मिक एवं सांसारिक विषयों में आगे बढ़ाना आवश्यक ठहरा। अतः यह उन्नति हर एक दृष्टिकोण से होनी चाहिए, भौतिक ज्ञानों में दूसरों से पीछे हों तो उसमें उनको आगे ले जावे, संख्या में कम हों तो बढ़ाए, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हों तो उन्हें आगे बढ़ाए, तात्पर्य यह कि जिस रंग में भी कमी हो उसे दूर करने की कोशिश करता रहे। अब इन अर्थों की दृष्टि से जमाअत को हर एक तरक्की तक पहुँचाना नबी और उसके जानशींन ख़लीफ़ा का कर्तव्य ठहरा। जब गुनाहों से बचाना और तरक्की दिलाना उसका कर्तव्य ठहरा तो उसी में ग़रीबों की देखभाल भी आ गयी। क्योंकि वे भी दुनिया के एक मैल से ग्रसित होते हैं उनको बचाना उसका कर्तव्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अल्लाह तआला ने ज़कात का नियम रखा है। क्योंकि जमाअत के असहाय और ग़रीबों की देखभाल का इन्तिज़ाम करना भी ख़लीफ़ा का काम है और इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अल्लाह तआला ने खुद ही इसका भी

इन्तिज़ाम कर दिया और धनाढ़्य लोगों पर ज़कात अदा करना अनिवार्य कर दिया।

अतः याद रखो कि يُنْهِيْمُ (युज्जकीहिम्) के यह अर्थ हुए कि वह लोगों को गुनाहों से बचाए, उनमें श्रद्धा पैदा करे और उन्हें सांसारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाए और सदक़ा ख़ैरात इत्यादि का प्रबन्ध करके उनका सुधार करे। अन्जुमन वाले बेशक कहें क्योंकि इन कामों का प्रबन्ध एक अन्जुमन को चाहता है, मगर इसके बावजूद भी यह अन्जुमन का काम नहीं, बल्कि खलीफ़ा का काम है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि यह सब बातें उसके अधीन हैं और यह सिफ़्र बातें और ढकोसला के रंग में नहीं, बल्कि शब्दकोष और सहाबा<sup>रَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> के कथन इसका समर्थन करते हैं। अतः मैंने तुम्हें खलीफ़ा के वह काम बताए हैं जो खुदा तआला ने बयान किए हैं और इसकी वास्तविकता अरबी शब्दकोष और सहाबा<sup>رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> के सर्वसम्मत अर्थों की दृष्टि से बताई है। अतः खुदा तआला ने सामूहिक रूप से एक जगह ही मुझे यह बता दिया और अपने फ़ज़ल से सूरः बक्रः की कुंजी मुझे प्रदान की। मैंने इस राज़ और हक्कीकत को आज समझा है कि तीन साल पहले खुदा तआला ने यह आयत मेरे दिल में बिजली की तरह क्यों डाली थी? पहले मैं इस रहस्य को नहीं जानता था, लेकिन आज रहस्य खुला कि खुदा की इच्छानुसार यह मेरे ही कर्तव्य और काम थे और एक समय आने वाला था कि मुझे उनको पूरा करने के लिए खड़ा किया जाना था। अतः जब यह स्पष्ट हो चुका कि खलीफ़ा के क्या काम हैं या दूसरे शब्दों में यह कहो कि मेरे क्या कर्तव्य हैं तो अब प्रश्न पैदा होता है कि उनको कैसे करना है? और इसी के बारे में मुझे तुमसे मशवरा करना है।

## खिलाफ़त के उद्देश्यों की पूर्ति का क्या ढंग हो

यह तो आपको मालूम हो चुका कि खिलाफ़त का पहला और ज़रूरी काम तब्लीग है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि तब्लीग के क्या ढंग हों, मगर मैं तुम्हें एक और भी बात बताना चाहता हूँ जो अभी मेरे दिल में डाली गयी है कि खिलाफ़त के यह चारों उद्देश्य हज़रत खलीफ़तुल मसीह की वसीयत में भी बयान किए गए हैं।

## खलीफ़तुल मसीह की वसीयत इसी की व्याख्या है

हज़रत खलीफ़तुल मसीह ने अपनी वसीयत में अपने जानशीन के लिए फ़रमाया :- कि वह मुत्तकी (संयमी) हो, लोकप्रिय हो, विद्वान और सदाचारी हो, कुर्�আন और हदीस का दर्स जारी रहे, इसमें ﴿وَالْحِكْمَةُ الْكِتَبَ﴾ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) और ﴿وَالْحِكْمَةُ وَالْكِتَبَ﴾ (युअल्लिमु हुमुल् किताब व अल-हिक्मत) की ओर इशारा है क्योंकि यहाँ अल-किताब से तात्पर्य कुर्�আন शारीफ़ है और अल-हिक्मत से तात्पर्य बहुत से इमामों ने हदीस लिया है। इस तरह ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (युअल्लिमु हुमुल् किताब व अल-हिक्मत) का यह अर्थ हुआ कि वह कुर्�আন और हदीस सिखाएं जो ﴿يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ﴾ (यत्लू अलैहिम् आयातिका) का विस्तृत तर्जुमा है। क्योंकि तब्लीग के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और मुत्तकी, (संयमी) सदाचारी एवं लोकप्रिय होना यह ﴿يُزَكِّيهِمْ﴾ (अर्थात् दूसरों को बुराइयों से दूर करने) के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो मुत्तकी है वही बुराइयों से दूर कर सकता है और जो खुद अमल न करेगा तो दूसरे लोग भी उसकी बात पर अमल न करेंगे। इसलिए जो क़ौम को बुराइयों से बचाने वाला होगा वह अवश्य लोकप्रिय भी होगा। इसके अतिरिक्त वसीयत में यह भी है कि वह दर गुज़र से

काम ले। मैं कहता हूँ कि इसका भी इस आयत में वर्णन है।

**إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (इनका अन्तल् अज्ञीज्ञुल् हकीम)

में अल्लाह तआला की जो विशेषता अल-अज्ञीज्ञ बयान हुई है उसके द्वारा खुदा उसे भी प्रतिष्ठित और विजयी करेगा, जिसका परिणाम अनिवार्यतः क्षमा और दर गुज़र होगा, क्योंकि यह एक शक्ति को चाहता है अर्थात् शक्ति मिल जाए तो क्षमा और दर गुज़र से काम ले। अतः इस दुआ में अल्लाह तआला के इन नामों के रहस्य का यही अर्थ है। फिर यह बताया कि क्षमा और दर गुज़र अकारण नहीं बल्कि एक विशेष युक्तिपूर्ण विचारधारा के अन्तर्गत होगी। अतः हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की वसीयत भी इसी आयत की व्याख्या है। अब जब यह स्पष्ट है कि कुर्�आन मजीद ने, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने और स्वयं हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने ख़लीफ़ा के काम पहले से बता दिए हैं तो अब नई शर्तें बनाने का किसी को क्या हक़ है? गवर्नमेन्ट की शर्तों के बाद भी किसी और को कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपनी मनगढ़त बातें पेश करे।

ख़लीफ़ा तो खुदा बनाता है, फिर तुम्हारा क्या हक़ है कि तुम शर्तें पेश करो। खुदा से डरो और ऐसी बातों से तोबा करो कि ये अदब से दूर हैं। खुदा तआला ने खुद ख़लीफ़ा के काम मुकर्रर कर दिए हैं। अब कोई नहीं जो उनमें तब्दीली कर सके या उनके विरुद्ध कुछ और कह सके। मैं फिर कहता हूँ कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने भी वही बातें पेश की हैं जो इस आयत में खुदा तआला ने बतायी हैं, मानो उनकी वसीयत इस आयत का अनुवाद है। अब मैं चाहता हूँ कि और व्याख्या करूँ।

## **तब्लीग़**

खलीफ़ा का पहला काम तब्लीग़ है। मैं नहीं जानता कि बचपन से ही क्यों मेरे अन्दर तब्लीग़ का इतना शौक़ रहा है और इससे इतनी मुहब्बत रही है। मैं छोटी सी उम्र में भी ऐसी दुआएँ करता था और ऐसी इच्छा थी कि इस्लाम का जो भी काम हो मेरे ही हाथ से हो। मैं अपने अन्दर यह जोश पाता था और दुआएँ करता था कि इस्लाम का जो काम हो मेरे ही हाथ से हो और इतना हो-इतना हो कि क़्यामत तक कोई ऐसा ज़माना न आए जिसमें इस्लाम की खिदमत करने वाले मेरे शागिर्द न हों। मैं नहीं जानता था कि इस्लाम की खिदमत का यह जोश मेरे अन्दर क्यों डाला गया। हाँ इतना जानता हूँ कि यह जोश बहुत पहले से रहा है और इसी जोश और चाहत के कारण मैंने खुदा से दुआ की कि -

### **मेरे हाथ से तब्लीग़-ए-इस्लाम का काम हो**

और मैं खुदा तआला का शुक्र करता हूँ कि उसने मेरी इन दुआओं के जवाब में बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं। इसलिए तब्लीग़ के काम में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। यह मैं जानता हूँ कि खुदा तआला दुआओं को क़बूल करता है और यह भी जानता हूँ कि सब दुनिया एक ही धर्म को नहीं अपना सकती और यह भी सच है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जिस काम को नहीं कर सके, कौन है जो उसे कर सके या उसका नाम भी ले। लेकिन अगर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के किसी सेवक को यह तौफ़ीक़ दी जाए कि एक हद तक वह तब्लीग़-ए-इस्लाम के काम को करे तो यह उसकी अपनी कोई खूबी नहीं, बल्कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का ही काम है। मेरे दिल में तब्लीग़ की इतनी तड़प थी कि मैं हैरान था और सामान के

लिहाज से बिल्कुल निहत्था। इसलिए मैं उसी के आगे झुका और दुआएँ कीं, मेरे पास था ही क्या? मैंने बार-बार दुआ की कि मेरे पास न ज्ञान है न दौलत, न कोई जमाअत है और न कोई और चीज़, जिससे मैं इस्लाम की सेवा कर सकूँ। मगर अब मैं देखता हूँ कि उसने मेरी दुआओं को सुना और खुद ही सामान कर दिए और तुम्हें खड़ा कर दिया कि मेरे साथ हो जाओ। अतः आप वे लोग हैं जिनको खुदा तआला ने चुन लिया और यह मेरी दुआओं का एक फल है जो उसने मुझे दिखाया। इसको देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेष सामान भी वह स्वयं मुहैया कर देगा और उन भविष्यवाणियों को व्यवहारिक रंग में दिखावेगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब दुनिया को हिदायत मेरे ही द्वारा मिलेगी और क्रयामत तक कोई जमाना ऐसा न आएगा जिसमें मेरे शागिर्द न हों। क्योंकि आप लोग जो काम करेंगे वह मेरा ही काम होगा। अब तुम यह समझ सकते हो कि तब्लीग के कामों में मेरी दिलचस्पी आज से नहीं पैदा हुई बल्कि इससे पहले भी जितना मुझे मौक़ा मिला विभिन्न प्रकारों से तब्लीग की कोशिश करता रहा। वह जोश और दिलचस्पी जो स्वभावतः मुझे इस काम से थी और इस काम को करने के लिए जो स्वाभाविक लगाव मेरे दिल में था, उसकी हक्कीकत अब मुझे समझ आई है कि यह मेरे काम में शामिल था, अन्यथा जब तक अल्लाह तआला इसके लिए एक स्वाभाविक जोश मेरे अन्दर न रखता मैं कैसे इसे कर सकता था?

अब मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ कि तब्लीग के लिए क्या किया जाए।

मैं जो कुछ इसके बारे में इरादा रखता हूँ वह आपको बताता हूँ। तुम सोचो और ग़ौर करो कि इसको पूरा करने के क्या ढंग हो सकते हैं और उन प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप में ढालने के लिए क्या करना चाहिए?

## हर भाषा के जानने वाले मुबल्लिग (प्रचारक) हों

मैं चाहता हूँ कि हम में ऐसे लोग हों जो हर एक भाषा के सीखने और जानने वाले हों, ताकि हम हर एक भाषा में आसानी से तब्लीग कर सकें। इस बारे में मेरे बड़े-बड़े इरादे और प्रस्ताव हैं और मुझे अल्लाह तआला की कृपा से पूर्ण विश्वास है कि अगर खुदा ने ज़िन्दगी और तौफ़ीक दी और अपनी कृपा से साधन प्रदान किए और उनसे काम लेने की तौफ़ीक दी तो अपने समय पर प्रकट हो जाएँगे। अतः मैं तमाम् भाषाओं और तमाम् क्रौमों में तब्लीग का इरादा रखता हूँ, क्योंकि यह मेरा काम है कि मैं तब्लीग करूँ। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा काम है और बहुत कुछ चाहता है, मगर इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि खुदा ही के पास से यह सब कुछ आवेगा, क्योंकि मेरा खुदा हर एक चीज़ पर समर्थ है। जिसने यह काम मेरे सुपुर्द किया है वही मुझे यह ज़िम्मेदारी निभाने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। क्योंकि सारी शक्तियों का मालिक तो वह स्वयं ही है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए बहुत से पैसों और आदमियों की आवश्यकता है, मगर उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या इससे पहले हम उसकी कुदरत के अजीब नज़ारे देख नहीं चुके? यह जगह जिसको कोई भी नहीं जानता था, उसके भेजे हुए अवतार के कारण आज दुनिया में प्रसिद्ध है और जिस तरह खुदा ने उससे वादा किया था उसके अनुसार उसने लाखों रुपया उसके कामों को पूरा करने के लिए स्वयं भेज दिया। उसने उससे यह वादा किया था कि:-

كَرِجَالُ نُوحِ الْيَهْمَ  
بَنْصُرٍ اَرْجَأْلُ نُوحِ الْيَهْمَ  
अर्थात् - तेरी मदद ऐसे लोग करेंगे जिनको हम स्वयं अपनी ओर से आदेश देंगे।

अतः जब मैं यह जानता हूँ कि जो काम मेरे सुपुर्द हुआ है यह

उसी का काम है मैंने उससे नहीं माँगा था, उसने स्वयं मेरे सुपुर्द किया है तो वह खुद मेरी मदद के लिए उसी तरह लोगों को अपनी ओर से आदेश देगा जिस तरह मसीह मौजूद अलैहिस्सलाम के समय में दिया था।

अतः हे मेरे मित्रो! रूपयों के बारे में घबराने और चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रबन्ध करेगा और उन सौभाग्यवानों को मेरे पास लाएगा जो इन कामों में मेरे मददगार होंगे।

मैं पूरे विश्वास और विवेक से कहता हूँ कि इन कामों को प्रारम्भ और पूरा करने के लिए किसी गणितज्ञ की तहरीकें काम न देंगी। क्योंकि अल्लाह तआला ने मसीह मौजूद अलैहिस्सलाम से खुद वादा किया है कि -

**يَنْصُرُكُرِجَالُ نُوحٍ إِلَيْهِمْ**

तेरी मदद वे लोग करेंगे जिनको हम अपनी ओर से आदेश देंगे। अतः हमारे लिए पैसों की ज़िम्मेदारी खुद खुद तआला ने अपने ज़िम्मे ले ली है और वादा किया है कि रूपया देने की तहरीक हम खुद लोगों के दिलों में करेंगे। हाँ बहुवचन का शब्द प्रयोग करके इस ओर संकेत किया है कि बहुत से लोग भी हमारी इस तहरीक को फैलाकर पुण्य कमा सकते हैं। अतः खुदा खुद ही हमारा खज़ाना होगा, उसी के पास हमारे सब खज़ाने हैं। जब उसने स्वयं वादा किया है तो हमें किस बात की चिन्ता? हाँ पुण्य कमाने का एक सुअवसर है। सौभाग्यशाली है वह, जो इससे फ़ायदा उठाता है।

## हिन्दुस्तान में तब्लीग़

प्रथम - तब्लीग़ के बारे में मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का कोई शहर या देहात न रह जाए जहाँ हमारी तब्लीग़ न हो। एक भी बस्ती शेष न रहे जहाँ हमारे मुबल्लिग़ पहुँचकर खुदा तआला की ओर से मसीह

मौजूद को दिए गए इस पैगाम को खूब खोल-खोलकर न पहुँचा दें और सुना दें। यह काम छोटा और आसान नहीं, हाँ इसको छोटा और आसान कर देना खुदा तआला की कुदरत का एक छोटा सा करिश्मा है। हमारा यह काम नहीं कि हम लोगों को मनवा दें, बल्कि हमारा काम यह है और होना चाहिए कि हम उन्हें सच्चाई खोलकर पहुँचा दें। वे मानें या न मानें यह उनका काम है। वे अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी अपना कर्तव्य पूरा न करें।

इस अवसर पर मुझे एक बुजुर्ग का वर्णन याद आया, कहते हैं कि एक बुजुर्ग बीस साल से दुआ कर रहे थे। वह हर रोज दुआ करते और सुबह उनको जवाब मिलता माँगते रहो, मैं तो कभी भी तुम्हारी दुआ क्रबूल नहीं करूँगा। बीस साल बीतने पर एक दिन उनका कोई मुरीद उनके पास मेहमान के रूप में आया और उसने देखा कि पीर साहिब रात भर दुआ करते हैं और सुबह उनको यह आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी दुआ क्रबूल नहीं करूँगा। यह आवाज़ उस मुरीद ने भी सुनी। तीसरे दिन उस मुरीद ने बुजुर्ग से कहा कि जब इस तरह का सख्त जवाब आपको मिलता है तो फिर आप क्यों दुआ करते रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तू बहुत बेसब्र और जल्दबाज़ मालूम होता है। बन्दे का काम है दुआ करना, खुदा का काम है क्रबूल करना। मुझे इससे क्या परवाह कि वह क्रबूल करता है या नहीं। मेरा काम दुआ करना है तो मैं करता रहता हूँ। मैं तो बीस साल से ऐसी आवाज़ें सुन रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं घबराया और तू तीन दिन में घबरा गया। अगले दिन खुदा तआला ने उससे कहा कि मैंने तेरी वे सारी दुआएँ क्रबूल कर लीं जो तूने बीस साल में की हैं।

अतः हमारा काम पैगाम पहुँचा देना है, केवल इस आधार पर कि कोई क्रबूल नहीं करता हमें अपने काम से थकना और रुकना नहीं

चाहिए। क्योंकि हमारा काम मनवाना नहीं, हमको तो अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह तआला के समक्ष हम यह कह सकें कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया।

अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को फ़रमाया :-

(अल गाशिया - 23)      لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ  
 (लस्ता अलैहिम् बिमुसैतिर)

अनुवाद - कि तू लोगों पर दारोगा नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती मनवाए। फ़िर फ़रमाया :-

(अल बक्रः - 257)      لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ  
 (ला इकराहा फिद्दीन)

अनुवाद - कि धर्म में कोई जबरदस्ती जाइज्ञ नहीं।

आपका काम केवल इतना ही फ़रमाया कि :-

(अल माइदः - 68)      بِلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  
 (बल्लिग्ग मा उन्जिला इलैका)

अनुवाद - जो पैगाम तुझे दिया गया है उसे पहुँचा।

इसलिए हमें अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए। जब मनवाना हमारा काम नहीं तो दूसरे के काम पर नाराज़ होकर अपना काम क्यों बन्द कर दें। हमको अल्लाह तआला के नज़दीक कामयाब होने के लिए उसका पैगाम पहुँचा देना चाहिए। इसलिए ऐसा उपाय करो कि हर शहर, हर क्रस्बा और हर गाँव में हमारे मुबल्लिग पहुँच जाएँ और धरती एवं आसमान गवाही दे दें कि तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया।

**द्वितीय** - हिन्दुस्तान से बाहर हर एक देश में हम अपने उपदेशक भेजें। मैं इस बात के कहने से नहीं डरता कि इस तब्लीग से हमारा

उद्देश्य सिलसिला अहमदिया के रूप में इस्लाम की तब्लीग हो। मेरा यही मत है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास रहकर अन्दर और बाहर उनसे भी यही सुना है कि आप कहा करते थे कि इस्लाम की तब्लीग ही मेरी तब्लीग है। इसलिए उस इस्लाम की तब्लीग करो जो मसीह मौऊद व महदी माहूद लेकर आया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी हर एक तहरीर में अपने आने का उद्देश्य बयान फ़रमाया करते थे और हम उनकी तहरीरों के बिना आज ज़िन्दा इस्लाम पेश नहीं कर सकते। अतः जो लोग मसीह मौऊद की तब्लीग का तरीक़ा छोड़ते हैं यह उनकी ग़लती और कमज़ोरी है। उन पर तर्क पूरा हो चुका। हज़रत साहब की एक तहरीर मिली है जो मौलवी मुहम्मद अली साहिब को ही सम्बोधित करते हुए फ़रमाया था और वह निम्नलिखित है :-

"मौलवी मुहम्मद अली साहिब को बुलाकर हज़रत अक़दस ने फ़रमाया कि हम चाहते हैं कि यूरोप अमेरिका के लोगों पर तब्लीग का हक्क अदा करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा में एक किताब लिखी जाए और यह आपका काम है। आजकल इन देशों में जो इस्लाम नहीं फैलता और यदि कोई मुसलमान होता भी है तो वह बहुत कमज़ोरी की हालत में रहता है। इसका कारण यही है कि वे लोग इस्लाम की हक्कीकत को नहीं जानते और न उनके सामने इस्लाम की असल हक्कीकत को पेश किया गया है। उन लोगों का हक्क है कि उन्हें वह वास्तविक इस्लाम दिखलाया जाए जो खुदा तआला ने हम पर स्पष्ट किया है। वे विशिष्ट बातें जो खुदा तआला ने इस सिलसिला में रखी हैं वे उन्हें बतानी चाहिए और खुदा तआला से संवाद और संबोधन का सिलसिला उनके सामने पेश करना चाहिए और उन सब बातों को एकत्र किया जाए जिनके साथ इस ज़माने में इस्लाम की प्रतिष्ठा सम्बद्ध है। उन समस्त प्रमाणों को एक

जगह जमा किया जाए जो इस्लाम की सच्चाई के लिए खुदा तआला ने हमें समझाए हैं। इस तरह एक ठोस किताब तैयार हो जाए तो उम्मीद है कि इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिले।"

(अखबार बदर जिल्द 6 अंक 8 तिथि 21 फरवरी सन् 1907 पृष्ठ 4,13)

अब बताओ कि जब मसीह मौऊद अलौहिस्सलाम ने खुद यूरोप में इस्लाम की तब्लीग का तरीका बता दिया है तो फिर किसी नए तरीके को अपनाने की क्या वजह है? अफसोस है कि जिनको इस काम के लायक समझकर आदेश दिया गया था वही दूसरी राह अपना रहे हैं। यह गलत है कि लोग वहाँ सिलसिले की बातें सुनने को तैयार नहीं। एक मित्र का पत्र आया है कि लोग सिलसिले की बातें सुनने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसी जमाअतें वहाँ पाई जाती हैं जो इन्हीं दिनों में मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी तरह रीवियू आफ रिलीजन्ज़ को पढ़कर कई पत्र आते हैं। स्वीडन और ब्रिटेन से भी आते हैं। एक आदमी ने मसीह के कश्मीर आने का लेख पढ़कर लिखा है कि इसे अलग छपवाया जाए और दो हजार मुझे भेजा जाए, मैं उसे फैलाऊँगा, यह एक जर्मन या अंग्रेज़ का ख़त है। ऐसे आशावादी लोग हैं जो सुनने को मौजूद हैं, मगर ज़रूरत है तो सुनाने वालों की।

मैं यूरोप में तब्लीग के सवाल पर आज तक खामोश रहा इसका यह कारण न था कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता था। नहीं, बल्कि मैंने इहतियात से काम लिया कि जो लोग वहाँ गए हैं वे वहाँ के हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं चूँकि वहाँ नहीं गया इसलिए मुझे खामोश रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ गए उनमें से कई ने लिखा है कि हज़रत मसीह मौऊद के बारे में लोग सुनते हैं और हमारी तब्लीग में हज़रत मसीह मौऊद का वर्णन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त

खुद हज़रत साहब ने यूरोप में तब्लीग के लिए यही फ़रमाया कि इस सिलसिले की बातों को वहाँ पेश किया जाए और जो कश़फ़ आपने देखा था उसका भी यही अर्थ किया कि मेरी तहरीरें वहाँ पहुँचेंगी। इन सब बातों पर ग़ौर करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यूरोप और दूसरे देशों में भी इस सिलसिले का प्रचार हो और हमारे मुबल्लिग वहाँ जाकर उन्हें बताएँ कि तुम्हारा मज़हब मुर्दा है उसमें ज़िन्दगी की रूह नहीं। ज़िन्दा मज़हब केवल इस्लाम है। जिसकी ज़िन्दगी का सुबूत इस ज़माने में भी मिलता है कि जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अवतरित हुए। तात्पर्य यह कि वहाँ भी इस सिलसिले का पैग़ाम पहुँचाया जाए और जहाँ हम अभी मुबल्लिग नहीं भेज सकते वहाँ पम़फ़लेट और छोटी-छोटी पत्रिकाएँ छपवाकर वितरित करें।

### विज्ञापन द्वारा तब्लीग का जोश

चूँकि मुझे तब्लीग के लिए शुरू से बहुत दिलचस्पी रही है। इस दिलचस्पी के साथ अजीब-अजीब जोश और उमंगें पैदा होती रही हैं और तब्लीग के इस जोश ने अजीब-अजीब युक्तियाँ मेरे दिमाग़ में पैदा की हैं। एक बार सोचा कि जिस तरह विज्ञापन देने वाले व्यापारी अखबारों में अपना विज्ञापन देते हैं, मैं भी चीन के अखबारों में सिलसिले की तब्लीग का विज्ञापन दूँ और उसका शुल्क दे दूँ ताकि एक तय अवधि तक वह विज्ञापन छपता रहे। उदाहरणतः यह कि

"मसीह मौऊद आ गया"

बड़े मोटे अक्षरों से इस शीर्षक पर एक विज्ञापन छपता रहे। तात्पर्य यह कि मैं उस जोश और लगाव का नक्शा शब्दों में नहीं खींच सकता, जो इस उद्देश्य के लिए मुझे दिया गया है। यह एक उदाहरण है उस

जोश के पूरा करने का, नहीं तो यह एक चुटकुले से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस विचार के साथ ही मुझे बेइच्छियार हँसी आयी कि विज्ञापन के द्वारा यह तब्लीग़ भी अजीब होगी। मगर यह कोई नयी बात नहीं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी इस सिलसिले की तब्लीग़ के लिए अजीब-अजीब विचार आते थे और वे दिन-रात इसी चिन्ता में रहते थे कि यह पैग़ाम दुनिया के हर कोने में पहुँच जाए। एक बार आपने राय दी कि हमारी जमाअत का पहनावा ही अलग हो ताकि हर एक आदमी स्वयं एक तब्लीग़ हो और दोस्तों को एक-दूसरे की पहचान आसान हो। इस पर भिन्न-भिन्न प्रस्ताव होते रहे। मैं सोचता हूँ कि शायद इसी आधार पर लखनऊ के एक मित्र ने अपनी टोपी पर अहमदी लिखवा लिया। तात्पर्य यह कि तब्लीग़ हो और कोने-कोने में हो और कोई जगह शेष न रहे। यह जोश यह बातें और यह कोशिश हमारी नहीं, यह सब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही की हैं और सब कुछ उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं।

### मुबल्लिग़ कहाँ से आवें

जब हम चाहते हैं कि दुनिया के हर कोने और हर क्रौम और हर भाषा में हमारी तब्लीग़ हो तो दूसरा सवाल यह पैदा होगा कि तब्लीग़ के लिए मुबल्लिग़ कहाँ से आवें? यह वह सवाल है जिसने हमेशा मेरे दिल को दुःख में डाला है। स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी यह तड़प रखते थे कि सच्ची निष्ठा के साथ तब्लीग़ करने वाले मिलें। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अब्बल<sup>रजि</sup> की भी यही इच्छा रही। इसी चाहत ने इसी जगह इसी मस्जिद में अहमदिया स्कूल की बुनियाद मुझसे रखवायी और इसी मस्जिद में बड़े ज़ोर से उसकी मुखालिफ़त की गयी। वह मेरी

कोई व्यक्तिगत चाहत और इच्छा न थी, बल्कि केवल सिलसिला की तरक्की के लिए मैंने यह तहरीक की थी। अन्ततः बड़े-बड़े आदमियों की मुख्यालिफ़त के बावजूद अल्लाह तआला ने उस स्कूल को क्रायम कर ही दिया। उस समय लोगों ने न समझा कि इस स्कूल की कितनी आवश्यकता है और मुख्यालिफ़त करने लगे। मैं देखता था कि उलमा के क्रायम मुक्काम पैदा नहीं हो रहे। मेरे दोस्तो! यह छोटी मुसीबत और दुःख नहीं। क्या तुम चाहते हो कि फ़त्वा पूछने के लिए तुम नदवा और दूसरे गैर अहमदी मदर्सों या उलमा से पूछते फिरो, जो तुम पर कुफ़्र के फ़त्वे दे रहे हैं? धार्मिक ज्ञानों के बिना क्रौम मुर्दा होती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मदर्सा अहमदिया की तहरीक को उठाया और खुदा के फ़ज़्ल से वह मदर्सा दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। लेकिन हमें तो इस समय उपदेशकों (नसीहत करने वाले) और मुअल्लिमों की आवश्यकता है। स्कूल से पढ़े-लिखे निकलेंगे और इंशाअल्लाह फ़ायदेमन्द साबित होंगे, पर ज़रूरतें ऐसी हैं कि अभी मिलें। मेरा दिल तो चाहता है कि गाँव-गाँव हमारे उलमा और मुफ्ती हों, जिनके द्वारा धार्मिक ज्ञानों के पठन-पाठन का सिलसिला जारी हो और कोई भी अहमदी शेष न रहे जो पढ़ा-लिखा न हो और धार्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ हो। मेरे दिल में इस काम के लिए भी अजीब-अजीब योजनाएँ हैं, अगर खुदा चाहेगा तो पूरी हो जाएँगी।

अतः यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुबल्लिग कहाँ से आवें? चूँकि हम चाहते हैं कि हर क्रौम और हर भाषा में हमारी तब्लीग हो। इसलिए आवश्यकता है कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ सिखायी जाएँ। हज़रत खलीफ़तुल मसीह अब्बल के जीवनकाल में ही मैंने सोचा था कि कुछ ऐसे शिक्षार्थी मिलें जो संस्कृत पढ़ें और फिर हिन्दुओं के गाँव में जाकर

कोई मदर्सा खोल दें और शिक्षा के साथ तब्लीग का काम भी जारी रखें और एक अवधि तक वहाँ रहें। जब इस्लाम का बीज बो जाए तो मदर्सा किसी शागिर्द के सुपुर्द करके खुद किसी दूसरी जगह जाकर काम करें। तात्पर्य यह कि जिस तरह सरलता से तब्लीग हो सके, करें।

ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो इस्लाम की खिदमत के लिए निकल खड़े हों। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुदा तआला ने एक आसान तरीका मेरे दिल में डाला है और वह यह है कि यहाँ एक मदर्सा हो। अतः तुम सब मिलकर इस बारे में मशवरा करो, फिर मैं ग़ौर करूँगा। मैं फिर कहता हूँ कि मैं तुम से जो मशवरा कर रहा हूँ, यह अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। कुर्�আন मজीद में उसने कहा है कि:-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۝ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۝  
(आले इमरान- 160)

अनुवाद- प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में उनसे परामर्श कर, फिर जब तू किसी काम के करने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो फिर अल्लाह पर भरोसा रख।

अतः तुम आपस में मशवरा करके मुझे बताओ, फिर अल्लाह तआला जो कुछ मेरे दिल में डालेगा मैं उस पर भरोसा करते हुए उसे करने का दृढ़ निश्चय करूँगा। तात्पर्य यह कि एक मदर्सा हो, उसमें एक-एक या तीन-तीन महीने के कोर्स हों और इस अवधि में भिन्न-भिन्न जगहों से लोग आवें और कोर्स पूरा करके अपने-अपने गाँवों को चले जाएँ और वहाँ जाकर अपने उस कोर्स के अनुसार तब्लीग का काम शुरू करें। फिर उनके बाद कुछ दूसरे लोग आवें और वे भी उसी तरह अपना कोर्स पूरा करके चले जाएँ। पूरे साल लगातार इसी तरह होता रहे। फिर इसी नियमानुसार वे लोग जो पहले साल आए थे, आते रहें। इस तरह

उनका कोर्स पूरा हो और साथ ही वे तब्लीग़ करते रहें। मैं इस काम के लिए विशेष उस्ताद नियुक्त करूँगा ताकि जो लोग इस तरह आते रहेंगे वे पढ़ते रहेंगे। यह पढ़ने का एक ऐसा ढंग है जैसा कि युद्धक्षेत्र में नमाज़ का। इस समय भी दुश्मन से युद्ध जारी है जो तीर और तलवार से नहीं बल्कि तर्कों और प्रमाणों से हो रहा है। इसलिए इन्हीं हथियारों से हमको सुसज्जित होना चाहिए और इसका यह एक उपाय है कि:-

एक साल के बाद फिर पहले लोग आवें और कोर्स खत्म करें। इस तरह एक-एक साल के लिए हमारे पास लोग मौजूद होंगे। यहाँ तक कि 4,5,6,7 साल तक जब तक खुदा चाहे, काम करते रहें। इस अवधि में मुबल्लिग़ तैयार हो जाएँगे। यह एक उपाय है, अतः तुम सोचकर बताओ कि इस प्रकार का एक मदर्सा होना चाहिए कि नहीं।

### मुबल्लिग़ों की नियुक्ति

उपदेशकों की नियुक्ति की भी आवश्यकता है, मेरी राय के अनुसार कम से कम दस हों, जिनको भिन्न-भिन्न जगहों पर भेजा जाए। जैसे कि एक स्थालकोट जाए और वहाँ जाकर दर्स दे और तब्लीग़ करे, तीन माह तक वहाँ रहे फिर दूसरी जगह चला जाए। यह तरीका किसी जगह एक-आध दिन लैक्चर या नसीहत करने के बजाए ज्यादा फ़ायदेमन्द हो सकता है।

### क्रौम-ए-लूत की घटना

हजरत लूत अलैहिस्सलाम की क्रौम पर जब अजाब आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की:-

“तब अब्रहाम नज़दीक जाकर बोला। क्या तू नेक को दुष्ट के

साथ हलाक करेगा? शायद पचास सच्चे इस शहर में हों। क्या तू उसे हलाक करेगा और उन पचास सच्चों के लिए जो उसमें रहते हैं, उस स्थान को न छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे असम्भव है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बुरे के समान हो जाएँ, यह तुझसे असम्भव है। क्या सारी दुनिया का इन्साफ़ करने वाला इन्साफ़ न करेगा? और खुदावन्द ने कहा कि अगर मैं सदूम शहर के अन्दर पचास सच्चे पाऊँ तो मैं उनके लिए सारे स्थान को छोड़ दूँगा। तब अब्रहाम ने जवाब दिया और कहा कि अब देख मैंने खुदावन्द से बोलने में हिम्मत की यद्यपि खाक और राख हूँ। शायद पचास सच्चों से पाँच कम हों क्या उन पाँच के लिए तू सारे शहर को खत्म करेगा? और उसने कहा अगर मैं वहाँ पैंतालीस पाऊँ तो समाप्त न करूँगा। फिर उसने उससे कहा शायद वहाँ चालीस पाए जाएँ। तब उसने कहा कि मैं चालीस के वास्ते भी समाप्त न करूँगा। फिर उसने कहा कि मैं निवेदन करता हूँ कि अगर खुदावन्द नाराज़ न हों तो मैं फिर कहूँ, शायद वहाँ तीस पाए जाएँ तो वह बोला अगर मैं वहाँ तीस पाऊँ तो मैं यह न करूँगा। फिर उसने कहा देख मैंने खुदावन्द से बात करने में हिम्मत की। शायद वहाँ बीस पाए जाएँ, वह बोला मैं बीस के वास्ते भी उसे समाप्त न करूँगा। तब उसने कहा मैं निवेदन करता हूँ कि खुदावन्द नाराज़ न हों तो मैं केवल अब की बार फिर कहूँ शायद वहाँ दस पाए जाएँ। वह बोला मैं दस के वास्ते भी उसे समाप्त न करूँगा।”

(पैदाइश बाब 18 आयत 23-32 मुद्रित ब्रिटिश एण्ड फारेन बाइबिल

सोसायटी अनारकली लाहौर सन् 1922 ई.)

कुर्अन शरीफ में इसके बारे में फ़रमाया:-

**فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ** (अज्जारियात - 37)

अनुवाद- हमने उसमें आज्ञापालकों का केवल एक ही घर पाया  
 अतः दस की बात पर मुझे यह घटना याद आयी। तो कितने  
 अफ़सोस की बात है कि इस काम के लिए दस मौलवी भी न मिलें।  
 यह बहुत ही रोने-गिड़गिड़ाने और दुआओं का मुकाम है, क्योंकि जब  
 उलमा न हों तो दीन में कमज़ोरी आ जाती है। मैं तो बहुत दुआएँ करता  
 हूँ कि अल्लाह इस कमी को दूर कर दे।

यह प्रस्ताव जो मैंने दिया है, कुर्�আন मজीद ने ही इसको प्रस्तुत  
 किया है कि-

(अत्तौबः - 122)      فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

सारे मोमिन तो एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए यह  
 फ़रमाया कि हर इलाके से कुछ लोग आवें और नबी करीम सल्लल्लाहो  
 अलौहि व सल्लम के पास रहकर दीन सीख करके अपनी क़ौम में जाकर  
 उन्हें सिखाएँ। यह मेरा पहला मशवरा है जिसका समर्थन कुर्�আন मजीद  
 करता है या यों कहो कि कुर्�আন मजीদ के आदेशानुसार मेरी पहली राय है।

दूसरी राय भी कुर्�আন मজीদ की ही है जैसा कि फ़रमाया कि -  
 (आले इमरान - 105)      وَلَئِنْ كُنْتُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

अनुवाद - चाहिए कि तुम में से एक ऐसी जमाअत हो जो हमेशा  
 भलाई की ओर बुलाती रहे यह आयत उपदेशकों की एक ऐसी जमाअत  
 का समर्थन करती है जिसका काम ही तब्लीग़ हो।

## शरीअतों (धर्मविधानों) की शिक्षा

इन कामों के बाद फिर शरीअतों की शिक्षा का काम आता है जब  
 तक क़ौम को शरीअत की जानकारी न हो और यह मालूम न हो कि  
 उन्हें क्या करना है तो आचार-व्यवहार का सुधार करना मुश्किल होता है।

इसलिए खलीफ़ा के कामों में शरीअत का सिखाना और पढ़ाना आवश्यक है। मैंने एक आदमी को देखा जो बैअत करने लगा, उसको कलिमा भी नहीं आता था। इसलिए आवश्यक है कि हमारी जमाअत का कोई एक व्यक्ति भी शेष न रहे जो दीन की ज़रूरी बातें न जानता हो। इसलिए शरीअत की शिक्षा के इन्तिज़ाम की आवश्यकता है। यह काम कुछ हद तक मुबल्लिगों और उपदेशकों से लिया जाए कि वे दीन की बुनियादी और ज़रूरी बातों से क्रौम को आगाह करते रहें। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो क्रौम के लीडर कहलाते हैं मगर नमाज़ पढ़ना नहीं जानते और कभी-कभी अजीब-अजीब तरह की ग़लतियाँ करते हैं। कोई कह देगा कि नमाज़ में रुकूअ, सज्दा, क्रअदा, क्रयाम सब व्यर्थ हैं। मैं पूछता हूँ कि खुदा ने क्यों यह फ़रमाया है कि “युअल्लिमु हुमुल् किताब” अतः यह सब आवश्यक हैं और मैं खुदा के फ़ज़्ल से हर एक की हिक्मत बयान कर सकता हूँ। मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देखा है कि मोज़े में छोटा सा छेद हो जाता तो तुरन्त उसे बदल लेते। मगर अब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे फटे हुए मोज़ों पर भी जिन पर एड़ी और पंजे का हिस्सा ही नहीं होता मसह करते चले जाते हैं। यह क्यों होता है? इसलिए कि शरीअत के आदेशों की जानकारी नहीं होती। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वे छूट और औचित्य के सही मौक़ा और महल को नहीं जानते।

मुझे एक मित्र ने एक चुटकुला सुनाया कि किसी मौलवी ने रेशमी किनारों वाली लुंगी पहनी हुई थी और वे किनारे बहुत चौड़े थे। मैंने उनसे कहा कि रेशम पहनना तो मना है। मौलवी साहिब ने कहा कि कहाँ लिखा है? मैंने कहा कि आप लोगों से ही सुना है कि चार उँगलियों से ज्यादा न हो। मौलवी साहिब ने कहा कि चार उँगलियाँ हमारी तुम्हारी नहीं बल्कि

हजरत उमर<sup>रضि</sup> की, उनकी चार डॅग्लियाँ हमारे एक बालिशत के बराबर थीं। इसी तरह इन्सान मनगढ़त शरीअतें बनाता है। यह डर का मुक्काम है ऐसी बातों से बचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब इन्सान शरीअत के आदेशों को जानता हो और दिल में खुदा का खौफ़ हो। यह मत समझो कि छोटे-छोटे आदेशों की अगर परवाह न की जाए तो कोई हर्ज नहीं, यह बहुत बड़ी गलती है। जो छोटे से छोटे हुक्म की पाबन्दी नहीं करता वह बड़े से बड़े हुक्म की भी पाबन्दी नहीं कर सकता। खुदा के हुक्म सब बड़े हैं, बड़ों की बात बड़ी ही होती है। जिन आदेशों को लोग छोटा समझते हैं उनसे ग़फ़लत और बेपरवाही कभी-कभी कुफ़ तक पहुँचा देती है। खुदा तआला ने कुछ छोटे-छोटे आदेश दिए हैं मगर उनकी बड़ाई में कमी नहीं आती। तालूत की घटना का वर्णन कुर्अन करीम में मौजूद है कि एक नहर के द्वारा क्रौम का इम्तिहान हो गया, पेट भरकर पीने वालों को कह दिया कि

(अल बक्रः - 250)      فَلَيْسَ مِنِّي  
(फ़्लैसा मिन्नी)

अर्थात् -अतः वह मुझ में से नहीं।

अब एक सरसरी सोच रखने वाला आदमी तो यही कहेगा कि पानी पी लेना कौन सा जुर्म था। मगर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की आज्ञापालन सिखाना उद्देश्य था। वे युद्ध के लिए जा रहे थे। इसलिए यह इम्तिहान का आदेश दिया गया। अगर वे इस छोटे से आदेश का आज्ञापालन नहीं कर सकते तो फिर युद्ध के मैदान में कैसे करेंगे? अल्लाह तआला के तमाम् आदेशों में हिक्मतें हैं। अगर इन्सान उनका पालन करता रहे तो फिर अल्लाह तआला ईमान नसीब कर देता है और अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देता है (चूँकि समय ज्यादा हो गया था आपने

फ़रमाया कि घबराना नहीं, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को भी कभी-कभी लम्बी-लम्बी तक़रीरें करने की आवश्यकता पड़ी थी। आप लोगों को जिस उद्देश्य के लिए जमा किया गया है मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह उसे समझ लें।

अतः शरीअतों के आदेशों में बड़ी-बड़ी हिकमतें छुपी होती हैं अगर उनकी हक्कीकत मालूम न हो तो कभी-कभी बुनियादी हुक्म भी हाथ से जाते रहते हैं और फिर ग़फ़लत और सुस्ती के कारण मिट जाते हैं। किसी जेन्टलमैन ने लिख दिया कि नमाज़ किसी बेन्च या कुर्सी पर बैठकर होनी चाहिए क्योंकि पतलून खराब हो जाती है, दूसरे ने कह दिया कि वजू की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उससे शर्ट की कफ़ें खराब हो जाती हैं। जब यहाँ तक नौबत पहुँची तो रुकूअ और सज्दा भी छोड़ दिया। अगर कोई उनको हिकमत सिखाने वाला होता और उन्हें बताता कि नमाज़ की हक्कीकत यह है, वजू के यह-यह फ़ायदे हैं और रुकूअ और सज्दों में यह-यह रहस्य हैं तो यह मुसीबत क्यों आती और वे दीन को इस तरह क्यों छोड़ देते। मुसलमानों ने शरीअत के आदेशों की हिकमतों को सीखने की कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग मुर्तद हो रहे हैं। अगर कोई आलिम उनको हिकमतें समझाता तो कभी नास्तिकता और मुर्तद होने का सिलसिला न फैलता।

यहाँ इसी मस्जिद वाले मकान का मालिक (यह मस्जिद वाला मकान मिर्ज़ा इमामुद्दीन वगैरह से खरीदा गया था-संकलनकर्ता) मिर्ज़ा इमामुद्दीन नास्तिक था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। हज़रत खलीफ़तुल मसीह ने एक बार उनसे पूछा कि मिर्ज़ा साहिब! क्या कभी यह सोचा भी है कि इस्लाम की तरफ़ मुड़ना चाहिए? कहने लगा कि मेरी फ़ितरत बचपन से ही नेक थी लोग जब नमाज़

पढ़ते और रुकूअ और सज्दे करते तो मुझे हँसी आती थी कि यह क्या करते हैं। यह क्यों हुआ? इसलिए कि उन्हें किसी ने हिक्मत न सिखाई, किसी ने इस्लामी शरीअत की हक्कीकत से परिचित न कराया, परिणाम यह हुआ कि नास्तिक बन गया। इसलिए यह काम खलीफ़ा का है कि हिक्मत सिखाए। चूँकि वह हर जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए एक जमाअत हो जो उसके पास रहकर उन हिक्मतों और शरीअत की हदों को सीखे, फ़िर वह उसके अनुसार लोगों को सिखाए ताकि लोग गुमराह न हों। इस ज़माने में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोग नयी-नयी विद्याएँ पढ़कर उनमें बहुत होशियार हो रहे हैं। ईसाइयों ने इस्लाम पर यह ऐतराज किया है कि इबादतों के साथ भौतिक चीज़ों को भी शामिल किया है। उन्हें चूँकि शरीअत की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए दूसरों को गुमराह करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि उपदेशक नियुक्त किए जाएँ जो शरीअत के आदेशों की शिक्षा दें और उनकी हिक्मत से लोगों को आगाह करें।

### अक्रीदों (आस्थाओं) की शिक्षा की किताब

इसके अतिरिक्त एक और ज़रूरी बात है जिसके बारे में अक्सर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहा करते थे, मगर लोगों ने उसे भुला दिया। अब मैं पुनः याद दिलाता हूँ और इन्शाअल्लाह मैं उसे याद रखूँगा और याद दिलाता भी रहूँगा कि जब तक अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल से उस काम को पूरा करने में सफल न कर दे। मैंने हज़रत साहब को अक्सर यह कहते हुए सुना था कि ऐसी किताब हो जिसमें अकायद-ए-अहमदिया लिखे हों। अगर ऐसी किताब तैयार हो जाए तो रोज़-रोज़ के झगड़े खत्म हो जाएँ और लड़ाइयाँ न हों।

मैं चाहता हूँ कि उलमा की एक कमेटी बना दूँ जो हजरत साहब की किताबों और तक़रीरों को पढ़कर अकायद-ए-अहमदिया पर एक किताब लिखें और उसको प्रकाशित किया जाए। इस समय जो बहसें छिड़ती हैं, जैसे किसी ने कुफ्र और इस्लाम की बहस छेड़ दी। उससे इस प्रकार की सारी बहसों का अन्त हो जाएगा। चूँकि इस समय कोई ऐसी ठोस और व्यापक किताब मौजूद नहीं, इसलिए तरह-तरह के झगड़े रोज़ होते रहते हैं। कोई कहता है हजरत मसीह मौजूद हजरत मसीह नासरी से बढ़कर थे, दूसरा कहता है नहीं। इसका मूल कारण यही है कि लोगों को अकायद की जानकारी नहीं है। लेकिन जब उलमा की एक कमेटी के पूरे गौर व फ़िक्र के बाद एक किताब ऐसी प्रकाशित हो जाएगी तो सारे उसे अपने पास रखेंगे। फिर अकीदों में इन्शाअल्लाह मतभेद नहीं होगा।

### आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नसीहत करने का ढंग

आप बहुत संक्षेप में नसीहत किया करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि आप नसीहत फ़रमा रहे हैं और ज़ुहर का वक्त आ गया, नमाज़ पढ़ ली। फिर नसीहत करने लगे और अस्त्र का वक्त आ गया फिर नमाज़ पढ़ ली। अतः आज की नसीहत उसी आदर्श का अनुसरण मालूम होती है। मैं जब यहाँ आया हूँ तो बैतुदुआ में दुआ करके आया था कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात न निकले जो हिदायत की बात न हो, बल्कि वह हिदायत हो और लोग उसे हिदायत समझकर मानें। मैं देखता हूँ कि समय ज़्यादा हो गया है और मैं अपने आपको रोकना चाहता हूँ मगर बातें आ रही हैं और मुझे बोलना पड़ता है। अतः मैं उन्हें खुदाई तहरीक समझकर और अपनी दुआ का नतीजा मानकर बोलने पर मज़बूर हूँ। अतः अकायद-ए-

अहमदिया की जानकारी के लिए एक छोटी सी किताब या पम्फलेट की ज़रूरत है। उसके न होने की वजह से यह कठिनाई आ रही है कि किसी ने सिर्फ़ तरियाकुल कुलूब को पढ़ा और उससे एक नतीजा निकालकर उस पर अड़ गया और हक्कीकतुल वह्यी को न देखा। दूसरा आया उसने हक्कीकतुल वह्यी को पढ़ा और समझा कि वह उसके आधार पर उससे बहस करता है। तीसरा आता है उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सारे इश्तिहारों को जिनकी संख्या 180 से भी अधिक है पढ़ा है वह अपनी जानकारी के अनुसार बातें करता है। उदाहरणतः मुझे अब तक मालूम न था कि इश्तिहारों की इतनी संख्या है, यह मुझे आज ही मालूम हुआ है और इन्शाअल्लाह अब मैं खुद भी उन सारे इश्तिहारों को पढ़ूँगा।

इसलिए आवश्यकता है कि उलमा की एक जमाअत हो। वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़कर और अक्रीदों के बारे में एक निष्कर्ष निकालकर एक किताब में उन्हें एकत्र करें और वे सारे अक्रीदे जमाअत के लोगों को दिए जाएँ और सब उन्हें पढ़ें और याद रखें। इससे इन्शाअल्लाह यह मतभेद जो अक्रीदों के बारे में पैदा होता है मिट जाएगा और सब का एक ही अक्रीदा होगा। अगर मतभेद होगा भी तो बहुत कम। लड़ाई-झगड़ा न होगा, जैसा कि अब हुआ। मैं यह भी कहता हूँ कि इस समय भी जो झगड़ा हुआ वह अक्रीदों के कारण नहीं। कुफ़ व इस्लाम का बहाना है। अहमदी और गैर अहमदी के प्रश्न को खिलाफ़त से क्या सम्बन्ध? अगर यह प्रश्न हल हो जाए तो क्या ये ऐतराज़ करने वाले खिलाफ़त को मान लेंगे, कभी नहीं। यह तो गैर अहमदियों की हमदर्दी हासिल करने और अहमदियों को भड़काने के लिए है। भला सोचो तो सही कि अगर दो मियाँ-बीवी या भाई-भाई इस कारण से आपस में लड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाएँ कि हमारे

पड़ोसी का क्या मज़हब है तो क्या यह अक्लमन्दी होगी। नहीं यह विषय केवल एक आड़ है।

### मेरी इच्छा

मेरा दिल चाहता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति मेरे समय में हो जाए। यह एकता के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं अपने खुदा पर बड़ी-बड़ी उम्मीदें रखता हूँ अगर खुदा तआला ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। शरीअत की शिक्षा का प्रबन्ध भी हो जाएगा और हिक्मत भी सिखाएँगे और यह सारी बातें इन्शाअल्लाह कुर्अन शरीफ से ही बता देंगे।

### लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाना

इन कामों के बाद अब लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने का काम है। मैंने कहा है कि कुर्अन मजीद से बल्कि सूरः बक्रः की तर्तीब से ही मालूम होता है कि लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने के लिए सबसे बड़ा और अचूक हथियार दुआ है। नमाज़ भी दुआ ही है। सूरः बक्रः जिसमें अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का काम बताया है उसे भी दुआ पर ही खत्म किया है और नमाज़ के आँखिरी हिस्से में भी दुआएँ ही हैं।

अंततः लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने के लिए पहली चीज़ दुआ ही है। खुदा के फ़ज़्ल से मैं बहुत दुआएँ करता हूँ और तुम भी दुआओं से काम लो कि खुदा तआला अधिक सामर्थ्य दे। यह भी याद रखो कि मेरी और तुम्हारी दुआओं में बड़ा अन्तर है। जैसे एक ज़िले के अफ़सर की रिपोर्ट का दूसरा असर होता है और लेफ़टीनेन्ट गवर्नर का दूसरा और वायसराय का उससे बढ़कर। इसी तरह अल्लाह

तआला जिसको खिलाफ़त का पद प्रदान करता है तो उसकी दुआओं की कुबूलियत को बढ़ा देता है क्योंकि अगर उसकी दुआएँ क़बूल न हों तो फिर उसके अपने चयन की तौहीन होती है। तुम मेरे लिए दुआ करो कि मुझे तुम्हारे लिए और अधिक दुआ करने की तौफ़ीक मिले और अल्लाह तआला हमारी हर प्रकार की सुस्ती दूर करके चुस्ती पैदा करे। मैं जो दुआ करूँगा वह हर व्यक्ति की दुआ से इन्शाअल्लाह ज्यादा असर करेगी। पवित्र और सदाचारी बनने के लिए किसी ने एक सूक्ष्म बात बयान की है और वह यह है कि इन तीन बातों का परिणाम “युज़क्कीहिम्” अर्थात् कुर्�आन मजीद की तिलावत करे और किताब और हिक्मत सिखाए, इसके बाद उस जमाअत में पवित्रता और धर्मपरायणता पैदा हो जाएगी।

फिर पवित्र और धर्मपरायण बनने का एक माध्यम यह भी है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया है और मेरा विश्वास है कि वह बिल्कुल सही है और हर शब्द उसका सच्चा है और वह यह है कि हर एक व्यक्ति जो क़ादियान नहीं आता या कम से कम आने की इच्छा नहीं रखता उसके बारे में सन्देह है कि उसका ईमान सही हो। अब्दुल हकीम के बारे में यही कहा करते थे कि वह क़ादियान न आता था। क़ादियान के बारे में अल्लाह तआला ने

إِنَّهُ أَوَى الْقَرْيَةَ (इन्हू आवल् क़र्यह)

(इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तज्जकिरह पृष्ठ-314)

फ़रमाया है। यह बिल्कुल सच है कि यहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वाली बरकतें नाज़िल होती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी फ़रमाते थे :-

ज़मीन-ए-क़ादियाँ अब मुहतरम है  
हुजूम-ए-ख़ल्क़ से अर्ज़े हरम है

जब खुदा तआला ने यह वादा किया है कि “बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढ़ेंगे” तो फिर जहाँ वह पैदा हुआ, जिस ज़मीन पर चलता फिरता रहा और जहाँ दफ़न हुआ क्या वहाँ बरकत नाज़िल न होगी?

यह जो अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़रिए यह वादा दिया कि मक्का में दज्जाल न जाएगा। क्या ज़मीन के कारण नहीं जाएगा? नहीं, बल्कि इसलिए नहीं जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम वहाँ पैदा हुए।

मैं तुम्हें सच-सच कहता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुझे बता दिया है कि क़ादियान की ज़मीन बाबरकत है। मैंने देखा है कि एक अब्दुस्समद नामक आदमी खड़ा है और कहता है –

“मुबारक हो क़ादियान की ग़रीब जमाअत! तुम पर खिलाफ़त की रहमतें या बरकतें नाज़िल होती हैं।”

यह पूरी तरह सच है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के स्थानों को देखने से दिल में एक विनम्रता पैदा होती है और दुआ के लिए एक जोश पैदा होता है। इसलिए क़ादियान में ज़्यादा आना चाहिए।

फिर दुआओं के लिए एक लगाव की ज़रूरत है। मैंने खुद देखा है कि हज़रत साहब कुछ लोगों को कह दिया करते थे कि तुम एक नज़ (भेंट) मुकर्रर करो, मैं दुआ करूँगा। मगर हज़रत खलीफ़तुल मसीह ऐसा कहने से बचते थे और मैं खुद भी बचता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यह इसलिए करते थे कि लगाव बढ़े। इस सम्बन्ध में हज़रत साहब अक्सर एक वृतान्त सुनाया करते थे कि एक आदमी के घर की बिक्री का काग़ज खो गया था। वह एक बुजुर्ग के पास दुआ कराने गया तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूँगा मगर पहले मेरे लिए हलवा लाओ। वह सोच में पड़ गया, मगर दुआ की ज़रूरत थी इसलिए हलवा

लेने चला गया। जब वह हलवाई की दुकान पर पहुँचा और हलवाई एक कागज पर हलवा डालकर देने लगा तो वह चिल्लाया कि इसको फाड़ो नहीं, यह तो मेरे घर की बिक्री का कागज है इसी के लिए तो वह दुआ कराना चाहता था। अतः वह हलवा लेकर गया और बताया कि घर का कागज मिल गया तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हलवा से मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यह था कि लगाव पैदा हो। अतः दुआ के लिए एक लगाव की ज़रूरत है और इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि खतों के द्वारा याद दिलाते रहो, ताकि तुम मुझे याद रहो।

### युज्ज्वक्कीहिम् का दूसरा अर्थ

अब युज्ज्वक्कीहिम् का दूसरा अर्थ सुनो जिसमें ग़रीब और असहाय लोगों की देखभाल भी शामिल है। लोग यह तो नहीं जानते कि मेरे पास है या नहीं। लेकिन जब वे देखते हैं कि मैं ख़लीफ़ा बन गया हूँ तो मोहताज तो आते हैं और यह सच्ची बात है कि जो आदमी किसी क़ौम का लीडर बनेगा उसके पास मोहताज तो आएँगे। इसलिए शरीअत ने ज़कात का इन्तिज़ाम ख़लीफ़ा के सुपुर्द किया है। सारी ज़कात उसके पास आनी चाहिए ताकि वह मोहताजों को देता रहे। इसलिए यह भी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ग़रीबों की परेशानियों को दूर करूँ। इसलिए तुम्हारी यह ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इसमें मेरे मददगार रहो। अभी तो झगड़े ही ख़त्म नहीं हुए फिर भी कई सौ लोगों की दरख़वास्तें आ चुकी हैं जिनका मुझे प्रबन्ध करना है। जैसा कि अभी मैं कह चुका हूँ कि यह सारा काम ख़लीफ़ा के ज़िम्मे रखा है कि वह हर प्रकार की कमज़ोरियाँ दूर करे, चाहे वे स्वास्थ्य सम्बन्धी हों या धन सम्बन्धी या वैचारिक हों या शैक्षिक। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः इसके प्रबन्ध

के लिए ज़कात की मद का इन्तिज़ाम होना आवश्यक है। मैंने इसके इन्तिज़ाम के लिए यह सोचा है कि ज़कात से इस प्रकार के खर्च हों। हज़रत खलीफ़तुल मसीह की सेवा में भी यह प्रस्ताव मैंने पेश किया था। पहले तो मैं उनसे बेधड़क बातें कर लेता था और दो-दो घंटे तक बहस करता रहता था। लेकिन जब वह खलीफ़ा बन गए तो मैं उनके सामने कभी चौकड़ी मारकर न बैठता चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ होती मगर यह हिम्मत न करता और न ऊँची आवाज़ से बात करता। एक बार किसी के द्वारा मैंने कहला भेजा था कि ज़कात खलीफ़ा के पास आनी चाहिए। किसी ज़माने में तंगी होती थी लेकिन अब वह ज़माना नहीं। आपने कहा ठीक है। उस आदमी को कहा कि तुम मुझे ज़कात दे दिया करो। मेरा यही मज़हब है और मेरा यही अक्रीदा है कि ज़कात खलीफ़ा के पास जमा हो।

अतः तुम्हें चाहिए कि अपनी अन्जुमनों में ज़कात के रजिस्टर रखो और हर आदमी की आय का पता करके उसमें दर्ज करो और जो लोग पूँजीपति हों वे अनुपातानुसार पूरी ज़कात दें और वह स्थानीय अन्जुमन के रजिस्टर में दर्ज होकर सीधे मेरे पास आ जाए। उसका विधिवत् लेखा-जोखा रहे। हाँ यह भी आवश्यक है कि जिन ज़कात देने वालों के रिश्तेदार इस बात के पात्र हों कि उनकी मदद ज़कात से की जा सकती है तो ऐसे पात्रों की एक सूची यहाँ भेज दें। फिर उनके लिए उचित मदद या तो यहाँ से भेज दी जाया करेगी या वहाँ से दे दिए जाने का आदेश दे दिया जाया करेगा। तात्पर्य यह कि ज़कात एक जगह जमा होनी चाहिए और फिर खलीफ़ा के आदेशानुसार वह खर्च होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर विधिवत् रजिस्टर बनाए गए और उसके जमा करने की कोशिश की गयी तो इस मद में हज़ारों रुपया जमा हो सकता है बल्कि

मुझे विश्वास है कि अगर इस तरफ़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में लाख से भी ज़्यादा रुपया जमा हो सकता है। मैं यह करूँगा कि ज़कात के विषय पर एक पम्फलेट लिखवाकर छपवा दूँगा। जिसमें ज़कात से सम्बन्धित सारे आदेश होंगे, मगर आपका यह काम है कि ज़कात के लिए विधिवत् रजिस्टर बनाएँ और बड़ी सावधानी और कोशिश से ज़कात जमा करें और वह ज़कात विधिवत् मेरे पास आनी चाहिए, यह मेरा एक प्रस्ताव है।

## शैक्षिक उन्नति

मैंने बताया था कि **بُرْكَيْهُمْ** (युज्जक्कीहिम) के अर्थों में उभारना और बढ़ाना भी शामिल है। इसके अर्थों में क्रौमी तरक्की भी शामिल है और उस तरक्की में शैक्षिक उन्नति भी शामिल है, जिसमें अंग्रेज़ी स्कूल और इशाअत-ए-इस्लाम के अलावा और भी बातें आ जाती हैं। इस बारे में मेरा यह विचार है कि एक स्कूल पर्याप्त नहीं है जो यहाँ खुला हुआ है। इस केन्द्रीय स्कूल के अलावा आवश्यकता है कि कई स्थानों पर स्कूल खोले जाएँ। किसान इस स्कूल में लड़के कहाँ भेज सकते हैं। किसानों की शिक्षा भी तो मुझ पर अनिवार्य है। इसलिए मेरी यह राय है कि जहाँ-जहाँ बड़ी जमाअत है वहाँ अभी प्राइमरी स्कूल खोले जाएँ और ऐसे स्कूल यहाँ के केन्द्रीय स्कूल के अन्तर्गत होंगे।

ऐसा होना चाहिए कि जमाअत का कोई भी सदस्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष शेष न रह जाए जो लिखना-पढ़ना न जानता हो। सहाबा ने शिक्षा के लिए बड़ी-बड़ी कोशिशें की हैं। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कई बार युद्धबन्दियों की रिहाई के बदले में यह मुआवज़ा मुकर्रर फ़रमाया कि वे निर्धारित समय तक मुसलमान बच्चों को शिक्षा

दें। जब मैं यह देखता हूँ कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क्या भलाई लेकर आए थे तो मुहब्बत के जोश से दिल भर जाता है। आपने कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ी बल्कि हर मामले में हमारी रहनुमाई की है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने भी उन्हीं पगचिन्हों पर चलकर हर ऐसे विषय की ओर ध्यान दिलाया है जो किसी भी पहलू से लाभदायक हो सकता है।

अतः शिक्षा की तरक्की के लिए पहले प्राइमरी स्कूल खोले जाएँ। उन सारे स्कूलों में कुर्�आन मजीद पढ़ाया जाए और अमली (व्यवहारिक) दीन सिखाया जाए, नमाज़ की पाबन्दी कराई जाए, मोमिन किसी मामले में पीछे नहीं रहता। इसलिए शिक्षा के मामले में हमें जमाअत को पीछे नहीं रखना चाहिए। अगर इस उद्देश्य के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाएँगे तो गवर्नर्मेंट से भी मदद मिल सकती है।

## जमाअत की आर्थिक उन्नति

शिक्षा के साथ-साथ यह भी ध्यान देने योग्य विषय है कि जमाअत की आर्थिक उन्नति भी हो। उनको गरीबी और माँगने से बचाया जाए। जो तब्लीग और पढ़ाने-लिखाने के लिए लोग जाएँ उनका यह कर्तव्य हो कि वे जमाअत की आर्थिक उन्नति का भी ध्यान रखें और यहाँ रिपोर्ट करते रहें और देखते रहें कि कोई अहमदी सुस्त तो नहीं है। अगर कोई सुस्त पाया जाए तो उसे कारोबार की ओर ध्यान दिलाया जाए, उन्हें विभिन्न व्यवसायों और कलाओं की ओर प्रेरित किया जाए। जब विधिवत् इस प्रकार की सूचनाएँ मिलती रहेंगी तो जमाअत के सुधार की त्वरित कोशिश और उपाय हो सकेंगे।

## कर्मठता की आवश्यकता

जब मैंने इन बातों पर गौर किया तो देखा कि यह बहुत बड़ा मैदान है। मैंने सोचा कि बातें तो बहुत कीं अगर काम में सुस्ती हो तो फिर क्या होगा और दूसरी तरफ़ सोचा कि अगर चुस्ती हो तो फिर दूसरी प्रकार की समस्याएँ हैं। हज़रत उमर<sup>रजि०</sup> और हज़रत उस्मान<sup>रजि०</sup> की खिलाफ़त पर गौर किया तो मालूम हुआ कि हज़रत उमर<sup>रजि०</sup> चल फिर कर बहुत जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। जो लोग कहते हैं कि हज़रत उस्मान<sup>रजि०</sup> का क़सूर था वे झूठे हैं। हज़रत उस्मान<sup>रजि०</sup> बहुत बूढ़े थे वह चल फिर कर वे काम नहीं कर सकते थे जो हज़रत उमर<sup>रजि०</sup> कर लेते थे। फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना तो कुछ भी नहीं जिस खुदा ने लोगों के सुधार के लिए ये बातें मेरे दिल में डाली हैं वही मुझे सामर्थ्य भी दे देगा और मुझे देगा तो मेरे साथ वालों को भी देगा।

अतः आर्थिक उन्नति के लिए स्कूल खोले जाएँ और मर्कज़ी नुमाइन्दे अपने दौरों में इस बात को विशेष रूप से दृष्टिगत रखें कि जमाअतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, शैक्षिक और आर्थिक स्तर में क्या तरक्की हो रही है, आचार-व्यवहार की पाबन्दियों में जमाअत की कैसी हालत है, परस्पर प्रेम और भाईचारे की दृष्टि से वे कितनी तरक्की कर रहे हैं, उनमें परस्पर मनमुटाव और झगड़े तो नहीं? यह तमाम् बातें जिन पर उपदेशकों को नज़र रखनी होगी और इसकी विस्तारपूर्वक रिपोर्टें मेरे पास आती रहें।

## कॉलेज की ज़रूरत

जब भिन्न-भिन्न जगहों पर स्कूल खोले जाएँगे तो इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारा अपना एक कालेज हो। हज़रत खलीफ़तुल मसीह अब्बल की भी यही इच्छा थी। कालेज ही के दिनों में कैरेक्टर बनता है। स्कूल के टाइम में तो चाल-चलन का एक नक्शा खींचा जाता

है और उस पर मज़बूत दीवार तो कालेज लाइफ में ही बनती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने नौजवानों के जीवन को फ़ायदेमन्द और असरकारक बनाने के लिए अपना एक कालेज बनाएँ। अतः तुम इस बारे में सोच-विचार करो, मैं भी ग़ौर कर रहा हूँ। यह ख़लीफ़ा के काम हैं जिनको मैंने संक्षिप्त रूप से बयान किया है। इनको विस्तार से समझो और इनके भिन्न-भिन्न भागों पर ग़ौर करो तो मालूम हो जाएगा कि अन्जुमन की क्या हैसियत है? और ख़लीफ़ा की क्या? मैं यह पूरे दावे से कहता हूँ कि न कोई अन्जुमन इस प्रकार की है और न ऐसा दावा कर सकती है, न हो सकती है और न खुदा ने कभी कोई ऐसी अन्जुमन भेजी।

### अन्जुमन और ख़लीफ़ा की बहस

कुछ लोग कहते हैं कि ख़लीफ़ा ने अन्जुमन का हक्क हड़प लिया है, फिर कहते हैं कि यह लोग शिया हैं। जब मैं इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है कि इन लोगों को क्या हो गया है। कहते हैं कि बेटे को खिलाफ़त क्यों मिल गयी? मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी वली या नबी का बेटा होना ऐसा जघन्य अपराध है कि उसको खुदा के फ़ज़ल का कोई हिस्सा न मिले और वह कोई पद-प्रतिष्ठा न पाए? अगर यह सच है तो फिर नऊजुबिल्लाह किसी नबी या वली का बेटा होना एक लानत ठहरा न कि बरकत। क्या नबी औलाद की इच्छा व्यर्थ ही किया करते थे? क्या आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मसीह मौऊद के यहाँ औलाद होने की भविष्यवाणी व्यर्थ ही की थी? क्या खुदा तआला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जो वादे किए वे बरकत के वादे न थे? और यदि यह पीरपरस्ती है कि कोई बेटा वारिस हो तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि पीर की औलाद को रुसवा किया जाए ताकि

हम पर पीरपरस्ती का इल्ज़ाम न आए। अतः प्रतिष्ठा और महानता के दावे कितने सही समझे जाएँ।

यह शर्म करने का स्थान है सोचो और गौर करो। मैं तुम्हें खोलकर कहता हूँ कि मेरे दिल में यह इच्छा कभी न थी। फिर अगर तुमने मुझे गन्दा समझकर मेरी बैअत की है तो याद रखो कि तुम अवश्य पीरपरस्त हो, लेकिन अगर खुदा तआला ने तुम्हें पकड़कर झुका दिया है तो फिर किसी को क्या?

यह कहना कि मैंने अन्जुमन का हक्क हड़प लिया है बहुत अशोभित बात है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से खुदा तआला का यह वादा था कि मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। अब इन लोगों की सोच के अनुसार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इच्छा यह थी कि अन्जुमन ही वारिस है और खलीफ़ा तो उनके दिमाग़ में भी न था, तो बताओ कि क्या इस बात के कहने से तुम अपनी बात से यह साबित नहीं कर रहे कि नऊजुबिल्लाह खुदा ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इच्छा को पूरा न होने दिया।

सोचकर बताओ कि शिया कौन हुए? शिया भी तो यही कहते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की यह इच्छा थी कि हज़रत अली<sup>रज़ि</sup> खलीफ़ा हों, उनके वहम व गुमान में भी न था कि अबू बकर<sup>रज़ि</sup> उमर<sup>रज़ि</sup> और उस्मान<sup>रज़ि</sup> खलीफ़ा हों। तो जिस तरह उनकी आस्था के अनुसार खिलाफ़त के बारे में लोगों ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा को बदल दिया उसी तरह यहाँ भी हुआ। अफ़सोस! क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कोई प्रतिष्ठा और महानता तुम्हारे दिलों में है जो तुम यह कहना चाहते हो कि वह अपनी इच्छा में नऊजुबिल्लाह नाकाम रहे। खुदा से डरो और तौबा करो।

फिर एक तहरीर लिए फिरते हैं और उसकी फोटो छपवाकर बाँटते फिरते हैं, यह भी वही शिया वाले क़िरतास (तहरीर) के ऐतराज़ का नमूना है। वे कहते हैं कि हज़रत उमर ने काग़ज़ न लाने दिया अगर काग़ज़ आ जाता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ज़रूर हज़रत अली की खिलाफ़त का फ़ैसला कर जाते। उसी तरह ये लोग कहते हैं कि अफ़सोस काग़ज़ लिखकर भी दे गए फिर भी कोई नहीं मानता, बताओ शिया कौन हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर वह तहरीर होती तो क्या होता, वही कुछ होना था जो हो गया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने लिखवाया और शियाओं को ख़लीफ़ा सानी (हज़रत उमर<sup>रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup>) पर ऐतराज़ का मौक़ा मिला। यहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखकर दिया और अब उसके ज़रिया उसके ख़लीफ़ा सानी (मिर्ज़ा महमूद) पर ऐतराज़ किया जाता है।

स्मरण रहे कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर जो ऐतराज़ होते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनको दूर करने आए थे। जैसे यह ऐतराज़ होता था कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फ़ैलाया गया है मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आकर दिखा दिया कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, बल्कि वह अपनी रौशन शिक्षाओं और निशानों के द्वारा फैला है। इसी तरह काग़ज़ की हकीकत मालूम हो गयी। सुन लो! खुदा तआला के मुकाबले में काग़ज़ की क्या हैसियत होती है? और मैं यह भी तुम्हें खोलकर सुनाता हूँ कि काग़ज़ खुदा की मर्जी के खिलाफ़ भी नहीं हो सकता।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अब्बल फ़रमाया करते थे कि एक शिया हमारे उस्ताद जी के पास आया और हदीस की एक किताब खोलकर उनके सामने रख दी। उस्ताद जी ने उसे पढ़कर पूछा क्या है? शिया ने

कहा आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा हजरत अलीरज़िया<sup>\*</sup> की खिलाफ़त के बारे में मालूम होती है। फ़रमाया, मेरे उस्ताद जी ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि हाँ आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा तो थी मगर खुदा की इच्छा इसके खिलाफ़ थी। इसलिए वह इच्छा पूरी न हो सकी। मैं उस तहरीर के बारे में फिर कहता हूँ कि अगर कोई कहे तो यह जवाब दूँगा कि हकीकतुल वह्यी में एक जानशींन का वादा किया है और यह फ़रमाया है कि خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَاءِ رَبِّهِ (खलीफ़तुन् मिन् खुलफ़ायिही)। अर्थात् उसके खलीफ़ाओं में से एक खलीफ़ा होगा। इसलिए हड़पने का शोरशराबा बिल्कुल गलत और व्यर्थ है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह इल्हाम हुआ था कि -

سپردم بتو مائیہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را  
(इल्हाम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 1908 ई)

एक नेक आदमी भी अमानत में ख़ियानत नहीं कर सकता और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह तआला ने स्वयं यह दुआ करायी। अब क्या नऊजुबिल्लाह तुम यह समझते हो कि खुदा ने ख़ियानत की? तौबा करो, तौबा करो।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खुदा पर इतना बड़ा भरोसा कि देहान्त के निकट उपरोक्त इल्हाम होता है और फिर खुदा ने नऊजुबिल्लाह यह अजीब काम किया कि अमानत ग़ैर हक़दार को दे दी। खुदा तआला ने खलीफ़ा मुकर्रर करके दिखा दिया कि “सुपुर्दम ब तू मायः-ए-ख़वीश रा” के इल्हाम के अनुसार क्या ज़रूरी था? फिर मैं पूछता हूँ कि क्या खुदा गुमराही करवाता है? कदापि नहीं। खुदा

---

\*अनुवाद- मैंने अपनी पूँजी तेरे सुपुर्द की है थोड़ा-बहुत हिसाब तू जानता है। (अनुवादक)

तआला तो अपने रसूलों और ख़लीफ़ाओं को इसलिए भेजता है कि वे लोगों को गुमराही से बचाएँ और उन्हें शुद्ध करें। यही कारण है कि नबियों की जमाअत गुमराही पर क्रायम नहीं होती। अगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसी गन्दी जमाअत पैदा की जो गुमराही पर इकट्ठी हो गयी तो फिर नऊजुबिल्लाह अपने मुँह से उनको झूठा ठहराओगे, तब्का से काम लो।

लेकिन अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुदा की ओर से थे और अवश्य थे तो फिर याद रखो कि यह जमाअत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। मेरा ईमान है कि कोई भी मसीह आकर कुर्�আন शरीफ़ के क्रानून को नहीं तोड़ सकता, जो आएगा कुर्�আন का सेवक बनकर आएगा उस पर हाकिम बनकर नहीं और यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अक्रीदा था और यही व्याख्या है आपके इस कथन की कि-

“वह है मैं चीज़ क्या हूँ”

यह तो मुखालिफ़ों पर एक प्रमाण है कि मसीह मौऊद कुर्�আন करीम की सच्चाई साबित करने आया था उसे झूठा ठहराने नहीं। उसने अपने काम से दिखा दिया कि वह कुर्�আন मजीद का ग़ल्बा साबित करने के लिए आया था।

कुर्�আন मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि -

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَّلَمُ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا  
عَلِيِّظَ الْقُلُبِ لَا نُفَضِّلُ مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ  
(आले इमरान - 160) وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

अनुवाद - तू अल्लाह की विशेष दया के कारण उनके लिए नरम हो गया है और यदि तू क्रुद्ध स्वभाव और कठोर हृदयी होता तो वे तेरे पास से अवश्य दूर भाग जाते। अतः तू उन्हें माफ़ कर और उनके लिए बछिश

की दुआ कर और हर एक महत्वपूर्ण विषय पर उनसे मशवरा कर।

(खलीफ़ा राबे तरजुमातुलकुर्अन से, अनुवादक)

## शासन का ढंग क्या होना चाहिए ?

फिर कहते हैं कि खलीफ़ा के शासन करने का ढंग क्या हो? इसका फैसला खुदा तआला ने कर दिया है। तुम्हें हक़ नहीं कि तुम खलीफ़ा के लिए शर्त और क्रानून बनाओ या उसके कर्तव्य समझाओ। अल्लाह तआला ने जहाँ उसके उद्देश्य बताए हैं वहाँ कुर्अन मजीद में उसके काम करने का ढंग भी बता दिया है कि :-

**وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**

एक मजिलस शूरा क्रायम करो, उनसे मशवरा लेकर गौर करो, फिर दुआ करो। जिस पर अल्लाह तआला तुम्हें क्रायम कर दे उस पर क्रायम हो जाओ चाहे वह उस मजिलस के मशवरा के खिलाफ़ ही क्यों न हो, खुदा तआला तुम्हारी मदद करेगा। खुदा तआला खुद कहता है कि जब दृढ़ संकल्प कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अर्थात् डरो नहीं, अल्लाह तआला खुद तुम्हारी सहायता और समर्थन करेगा। यह लोग चाहते हैं कि खलीफ़ा की मर्जी कुछ भी हो या खुदा तआला उसे किसी बात पर क्रायम करे, मगर वह चन्द आदमियों की राय के खिलाफ़ न करे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मुस्लेह मौऊद के बारे में फ़रमाया है कि “वह होगा एक दिन महबूब मेरा” उसका भी यही मतलब है। क्योंकि खुदा तआला भरोसा करने वालों को अपना दोस्त बनाता है, जो लोगों से डरता है वह खलीफ़ा नहीं हो सकता, उसे तो मानो सत्ता का लालच है कि ऐसा न हो कि मैं किसी आदमी के खिलाफ़ करूँ तो वह नाराज़ हो जाए। ऐसा आदमी तो मुश्किल होता है और यह एक

लानत है। खलीफ़े खुदा मुकर्र करता है और स्वयं उनके डर को दूर करता है। जो व्यक्ति दूसरों की मर्जी के अनुसार हर समय एक नौकर की तरह काम करता है उसको डर क्या? उसमें तौहीदपरस्त वाली कौन सी बात है। हालाँकि खलीफ़ाओं के लिए यह ज़रूरी है कि खुदा उन्हें बनाता है और उनके खौफ को अमन में बदल देता है और वे खुदा ही की इबादत करते हैं और शिर्क नहीं करते।

अगर नबी को एक आदमी भी न माने तो उसकी नबूवत में फ़र्क नहीं आता बल्कि वह नबी ही रहता है, यही हाल खलीफ़ा का है। अगर उसको सब छोड़ दें फिर भी वह खलीफ़ा ही रहता है। क्योंकि जो आदेश मूल का है वही शाख़ का। यह स्मरण रखो कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता पाने के लिए खलीफ़ा बना है तो वह झूठा है और अगर समाज सुधार के लिए खुदा की ओर से काम करता है तो वह खुदा का प्यारा और उसका दोस्त है, चाहे सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए। मशवरा की इस आयत में क्या ही रहस्यपूर्ण आदेश है।

### उस मशवरे का क्या फ़ायदा जिस पर अमल नहीं करना

कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं कि अगर मशवरा लेकर उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं तो उस मशवरे का क्या फ़ायदा है। वह तो एक व्यर्थ काम बन जाता है और यह नबियों और वलियों की शान के खिलाफ़ है कि कोई व्यर्थ काम करें। इसका जवाब यह है कि मशवरा व्यर्थ नहीं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी एक बात सोचता है, दूसरे को उससे अच्छी बात सूझ जाती है। इसलिए मशवरा से यह फ़ायदा होता है कि भिन-भिन लोगों के विचार सुनकर इन्सान को अच्छी राय क्रायम करने का मौक़ा मिलता है। जब एक आदमी कई आदमियों से

राय पूछता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें से कोई ऐसा मशवरा दे देता है जो उसे मालूम नहीं था। जैसा कि आमतौर पर लोग जब अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं तो क्या उसे ज़रूर मान भी लिया करते हैं। फिर अगर मानते नहीं तो क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि शायद कोई बेहतर बात मालूम हो सके। इसलिए मशवरा लेने से यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि उस मशवरे को अवश्य माना जाए, बल्कि यह उद्देश्य होता है कि सम्भव है कि बहुत से लोगों के विचार सुनकर कोई और लाभदायक बात मिल सके और यह भी याद रखना चाहिए कि इस आयत *فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* (फ़ इज्जा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) में मशवरा लेने वाला मध्यम पुरुष एक वचन है अगर निर्णय पूरी मजिलिस शूरा का होता तो इस तरह आदेश होता *فَإِذَا عَزَّمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ* (फ़ इज्जा अज़म्तुम फ़तवक्कलू अलल्लाह) कि अगर तुम सब लोग एक बात पर क्रायम हो जाओ तो अल्लाह पर भरोसा करके काम शुरू कर दो। मगर यहाँ सिर्फ़ उस मशवरा लेने वाले को कहा कि तू जिस बात पर क्रायम हो जाए उसे अल्लाह पर भरोसा करके शुरू कर दे। यहाँ सिर्फ़ यह कहा है कि लोगों से मशवरा ले, यह नहीं कहा कि उनकी बहुलता देख और जिस पर बहुमत हो उसको मान ले। यह तो लोग अपनी ओर से मिला लेते हैं। कुर्अन करीम में कहीं नहीं लिखा कि फिर बोट लिए जाएँ और जिधर बहुमत हो उस राय के अनुसार काम करे, बल्कि यूँ फ़रमाया है कि लोगों से पूछ और भिन्न-भिन्न मशवरों को सुनकर तू जिस बात का दृढ़ संकल्प करे उस पर अमल कर (अज़म्ता का अर्थ यह है कि तू जिस बात का दृढ़ संकल्प करे) और किसी से न डर बल्कि खुदा तआला पर भरोसा कर।

## एक अजीब रहस्य

شَاوِرْهُمْ (शाविरहुम) के शब्द पर गौर करो। इससे ज्ञात होता है कि मशवरा लेने वाला एक है दो नहीं और जिनसे मशवरा लेना है वे कम से कम तीन या उससे अधिक हों। फिर मशवरा लेने वाला उस मशवरे पर गौर करे, फिर उसे हुक्म है कि **فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (फ़इज़ा عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (फ़इज़ा अज्ञम्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) कि जिस बात का दृढ़ संकल्प करे उसको पूरा करे और किसी की परवाह न करे।

हजरत अबूबकर रजियल्लाहो अन्हो के खिलाफ़त काल में इस अज्ञम (दृढ़ संकल्प) का एक सुन्दर उदाहरण मिलता है। जब लोग मुर्तद होने लगे तो मशवरा दिया गया कि आप इस टुकड़ी को रोक लें जो कमाण्डर उसामा के नेतृत्व में जाने वाली थी तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस टुकड़ी को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने भेजा है मैं उसे वापिस नहीं कर सकता। अबू क़हाफ़ा के बेटे की ताक़त नहीं कि ऐसा कर सके। सिर्फ़ हज़रत उमर और कुछ को रोक लिया जो उसी टुकड़ी में जा रहे थे।

### मैं यह एक मस्लहत से कहता हूँ

फिर ज़कात के सम्बन्ध में कहा गया कि मुर्तद होने से बचाने के लिए उनको माफ़ कर दो। उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को ऊँट बाँधने की एक रस्सी भी देते थे तो वह भी लूँगा और अगर तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ और मुर्तद होने वालों के साथ ज़ंगल के ख़ूँख़ार दरिन्दे भी मिल जाएँ तो मैं अकेला उन सब से लड़ूँगा। यह दृढ़ संकल्प का नमूना है फिर क्या हुआ तुम जानते हो? खुदा तआला ने कामियाबियों का एक दरवाज़ा खोल दिया। याद रखो जब खुदा से इन्सान डरता है तो फिर लोगों का रौब उसके दिल पर असर नहीं कर सकता।

### शिर्क का मसला कैसे समझा दिया

मुझे अल्लाह तआला ने अपने फ़ज्जल से शिर्क का मसला खूब अच्छी तरह से समझा दिया है और एक स्वप्न के द्वारा उसे हल कर दिया है। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं बहिश्ती मक्कबरा गया हूँ और वहाँ से वापिस आते हुए एक बड़ा समुद्र देखा जो पहले न था। उसमें एक नाव थी मैं उसमें बैठ गया उसमें दो आदमी और हैं। एक जगह पहुँचकर नाव भंवर में चक्कर खाने लगी। फिर उस समुद्र में से एक सिर ऊपर निकला और उसने कहा कि यहाँ एक पीर साहिब की क्रब्र है तुम उनके नाम एक पर्चा लिखकर डाल दो ताकि यह नाव सही सलामत पार निकल जाए। मैंने कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। वे आदमी जो साथ हैं उनमें से किसी ने कहा कि जाने दो क्या हर्ज है पर्चा लिखकर डाल दो जब बच जाएँगे तो फिर तौबा कर लेंगे, मैंने कहा यह कदापि नहीं होगा। इस पर उसने छुप कर खुद पर्चा लिखकर डालना चाहा, मैंने देख लिया और उसे पकड़कर फाड़ना चाहा। वह छुपा रहा था अन्ततः इस खींचतान में समुद्र में गिर पड़े, मगर मैंने वह पर्चा लेकर फाड़ डाला और फिर नाव पर बैठ गया तो मैंने देखा कि वह नाव उस भंवर से निकल गयी। उस खुली-खुली हिदायत के बाद मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि इन लोगों से डरूँ। मैं दुआ करता हूँ कि यह नाव जिसमें मैं अब सवार हूँ इस भंवर से निकल जाए और मुझे विश्वास है कि अवश्य निकल जाएगी।

## उम्र छोटी है

खिलाफ़त का इन्कार करने वाले यह भी कहते हैं कि उम्र छोटी है। इस पर मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आ गई। कूफ़: वाले बड़ी शरारत करते थे, जिस गवर्नर को वहाँ भेजा जाता वे थोड़े दिनों के बाद उसकी शिकायतें करके उसको वापिस भेज देते। हजरत

उमर<sup>रजि०</sup> फ़रमाया करते थे, जब तक हुकूमत में कोई ख़राबी न पैदा हो उनकी मानते जाओ। अन्ततः जब उनकी शरारतें हद से गुज़रने लगीं तो हज़रत उमर<sup>रजि०</sup> ने वहाँ इब्ने अबी लैला नामक एक गवर्नर भेजा। जिनकी आयु 19 वर्ष थी। जब यह वहाँ पहुँचे तो वे लोग इधर-उधर कानाफूसियाँ करने लगे कि क्या उमर<sup>रजि०</sup> की अक्ल मारी गयी है जो उसने एक लड़के को गवर्नर बनाकर भेज दिया है और उन्होंने आपस में मशवरा करके यह प्रस्ताव पास किया कि **گربہ کشن روز اول** पहले ही दिन इस गवर्नर को डॉटना चाहिए और उन्होंने मशवरा करके यह तय किया कि पहले ही दिन उससे उसकी उम्र पूछी जाए। जब दरबार लगा तो एक आदमी बड़ा गंभीर चेहरा बनाकर आगे बढ़ा और बढ़कर गवर्नर साहिब से कहा, हज़रत आपकी उम्र क्या है? इब्ने अबी लैला ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलौहि व सल्लम ने जब सहाबा के लश्कर पर उसामा<sup>रजि०</sup> को अफ्सर बनाकर शाम की तरफ भेजा था तो जो उस समय उसकी उम्र थी उससे मैं दो साल बड़ा हूँ (उसामा की उम्र उस समय 17 वर्ष की थी और बड़े-बड़े सहाबा उनके मातहत किए गए थे) कूफ़: वालों ने जब यह जवाब सुना तो खामोश हो गए और कहा कि इसके ज़माने में शोर न करना। इससे यह भी हल हो जाता है कि छोटी उम्र वाले की भी आज्ञा का पालन करें जब वह अगुवा हो। हज़रत उमर<sup>रजि०</sup> जैसे इन्सान को भी उस 17 वर्ष के नौजवान उसामा के मातहत कर दिया गया था। मैं भी उसी रंग में जवाब देता हूँ कि मेरी उम्र तो इब्ने अबी लैला से भी 7 वर्ष अधिक है।

## एक और ऐतराज़ का जवाब

एक और ऐतराज़ करते हैं मगर खुदा तआला ने इसका जवाब भी तेरह सौ वर्ष पहले ही दे दिया था। कहते हैं **شَأْوْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ** (शाविरहुम फ़िल् अम्र) तो आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को आदेश दिया गया था, खिलाफ़त कहाँ से निकल आयी। लेकिन यह लोग याद रखें कि हज़रत अबूबकर<sup>रَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> पर जब ज़कात के बारे में ऐतराज़ हुआ तो वह भी इसी तरह का था कि

(अत्तोब: - 103)      **خُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ**

(खुज़ मिन् अम्वालिहिम सदकतन्) यह नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया था, अब वह रहे नहीं और किसी का हक्क नहीं कि वह ज़कात वसूल करे जिसे लेने का हुक्म था वह देहान्त पा गया है। हज़रत अबूबकर ने यही जवाब दिया कि इस हुक्म से अब मैं मुखातिब हूँ और उसी की आवाज़ बनकर ऐतराज़ करने वाले को कहता हूँ कि अब मैं मुखातिब हूँ। अगर उस समय यह जवाब सच्चा था तो यह भी सच्चा है जो मैं कहता हूँ। अगर तुम्हारा ऐतराज़ सही है तो इस पर कुर्�आन मजीद से बहुत से आदेश तुमको निकाल देने पड़ेंगे और यह खुली-खुली गुमराही है।

## एक आश्चर्यजनक बात

मैं तुम्हें एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ जिससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुदा तआला के कामों में अन्तर नहीं होता। इश्तिहार सब्ज में मेरे बारे में खुदा के हुक्म से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह शुभसूचना दी है कि खुदा की वह्यी ने मेरा नाम "ऊलुल" अज्ञम रखा है और इस आयत में **فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (फ़ इज्जा अज्ञम्ता फ़ तवक्कल अलल्लाह) इससे मालूम होता है कि मुझे इस

आयत पर अमल करना पड़ेगा, फिर मैं इसको कैसे रद्द कर सकता हूँ।

## क्या खिदमत की है ?

फिर एक प्रश्न यह पैदा होता है कि उसने क्या खिदमत की है? इस प्रश्न का हल तो उसामा वाली बात में ही मौजूद है। उसामा की खिदमतें कितनी थीं कि वह बड़े-बड़े सहाबा पर अप्सर बना दिया गया। खिलाफ़त तो खुदा तआला के फ़ज़ल से निलती है वह जिसे चाहता है दे देता है। हाँ उसका यह काम व्यर्थ नहीं होता। फिर खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा, अम्र बिन आस, सअद बिन वक़्कास इत्यादि ने जो खिदमतें कीं उनके मुक़ाबले में हज़रत उमर की क्या खिदमतें प्रस्तुत कर सकते हैं मगर खलीफ़ा तो हज़रत उमर हुए वे न हुए, खुदा तआला से बेहतर अन्दाज़ा कौन लगा सकता है।

## आयत “इस्तिख्लाफ़”

जब मैंने आयत इस्तिख्लाफ़ पर ग़ौर किया तो मुझे इसके बहुत ही रहस्यपूर्ण अर्थ समझाए गए, जिन पर ग़ौर करने से बड़ा आनन्द मिला। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  
بَعْدِ خُوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ  
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ 56 - انْنُور ﴾

(अन्नूर - 56) (यअबुदूननी ला तुश्रिकूना बी शीए)

شے اما) کا اک ارث تو مئے اپنے ڈریکٹ میں لیخ چوکا ہوں جو ”کوئں ہے جو خُدا کے کام کو رک سکے“ کے نام سے پ्रکاشیت ہوا ہے۔ اسکا اک دوسرا ارث بھی خُدا تھا لہا نے مुझے سمجھا یا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیات میں پہلے تو خُدا تھا لہا کے وادے کا ورنن کیا گیا ہے کی ﷺ (والد لہا)۔ فیر خیلہافٹ دے دے کے وادے کو (اربی و्यاکरण کے انوسار لام-اے-تاکید اور نون-اے-تاکید سے) انیوار्थ ٹھہرا یا اور بتایا کہ خُدا اسے کرے گا اور ایک ایک کرے گا۔ فیر بتایا کہ خُدا ایک ایک میں وہ اسے خُلہافٹ کو دھڑتا پرداں کرے گا۔ فیر فرمائیا کہ خُدا ایک ایک میں وہ اسکے خُلہافٹ کو امن میں بدل دے گا۔ تاپر یہ کہ (اربی و्यاکرণ کے انوسار) تین بار لام-اے-تاکید اور نون-اے-تاکید لگا کر اس بات پر بول دیا ہے کہ اسے خُدا ہی کرے گا اور اس میں کسی کا دخیل ن ہو گا۔ فیر اسکا عدو دشیت بتایا کہ اس کیوں ہو گا؟ اس لیے کہ **يَعْبُدُونَ نَحْنُ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا** (یا بودنی لہ توشکونا بی شے اما) اسکے پریمان مسٹرپ وے میری ایجادت کرے گے اور کسی کو میرا سا جی دار ن ٹھہرا ائے ارثاً اگر انسانی کو شیش سے خُلہافٹ بنے تو خُلہافٹ کو لوگوں کے گیراہ سے دباتے رہنا پڑے گا کہ اس نے میڈ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے سب کو یہ ہم ہی کرے گے تاکہ شرک خُلہافٹ کے نیکٹ بھی ن آ سکے اور جب خُلہافٹ اس سماں دوسری تاکت کو دے دے گا جسکے دراگ خُدا نے اسے خُلہافٹ بنایا ہے تو اسے تنیک بھی سندھ پیدا ن ہو گا کہ اس میں کسی دوسرے کا بھی ہاث ہے تو اسکا نتیجا یہ ہو گا کہ **يَعْبُدُونَ نَحْنُ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا** (یا بودنی لہ توشکونا بی شے اما)

انواع - وے میری ایجادت کرے گے اور کسی چیز کو میرا سا جی دار ن ٹھہرا ائے گے۔

यह अर्थ मुझे खुदा तआला ने बताया है। अतः खलीफ़ा खुदा मुकर्रर करता है और कोई नहीं जो इसको मिटा सके।

कुछ लोग कहते हैं कि अगर खलीफ़े न हों तो क्या मुसलमानों की नजात न होगी? जब खिलाफ़त न रही तो फिर इस समय के मुसलमानों का हल क्या होगा? यह एक धोखा है देखो कुर्�আন मजीद में वजू के लिए हाथ धोना जरूरी है लेकिन अगर किसी का हाथ कट जाए तो उसका वजू बिना हाथ धोए ही हो जाएगा। अब अगर कोई आदमी किसी ऐसे हाथ कटे आदमी को पेश करके कहे कि देखो इसका वजू हो जाता है या नहीं? जब यह कहें कि हाँ हो जाता है तो वह कहे कि बस अब मैं भी हाथ न धोऊँगा तो क्या वह सच पर होगा? हम कहेंगे कि उसका हाथ कट गया मगर तेरा तो मौजूद है। अतएव ऐतराज़ करने वालों के लिए यही जवाब है। हम उन्हें कहते हैं कि एक ज़माने में अत्याचारी बादशाहों ने तलवार के ज़ोर से खिलाफ़त को मिटा दिया। चूँकि हर एक काम एक अवधि के बाद मिट जाता है। अतः जब खिलाफ़त तलवार के ज़ोर से मिटा दी गयी तो किसी पर गुनाह नहीं कि वह खलीफ़ा की बैअत क्यों नहीं करता। मगर इस समय वह कौन सी तलवार है जो हमको क्रयाम-ए-खिलाफ़त से रोकती है। अब भी अगर कोई हुकूमत ज़बरदस्ती खिलाफ़त के सिलसिला को रोक दे तो यह खुदा का काम कहलाएगा और लोगों को रुकना पड़ेगा। लेकिन जब तक खिलाफ़त में कोई रोक नहीं आती उस समय तक कौन खिलाफ़त को रोक सकता है और उस समय जब कोई खलीफ़ा हो तो जो खिलाफ़त का इन्कार करेगा तो वह उसी आदेश के अन्तर्गत आएगा जो अबूबकर उमर उस्मान के इन्कार करने वालों का है। हाँ जब खिलाफ़त ही न हो तो उसके ज़िम्मेदार तुम नहीं। चोर की सज्जा कुर्�আন करीम में हाथ काटना है। अब अगर इस्लामी

हुकूमत नहीं और चोर का हाथ नहीं काटा जाता तो यह कोई क़सूर नहीं।  
गैर इस्लामी सरकार इस आदेश की पाबन्द नहीं।

### मौजूदा इन्तिज़ाम में दिक्कतें

अब यह देखना है कि मौजूदा इन्तिज़ाम में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अन्जुमन के कुछ मेम्बर जिन्होंने बैअत नहीं की वे अपनी ही राय को अन्जुमन ठहराकर कहते हैं कि अन्जुमन जानशींन है। दूसरी तरफ एक आदमी दावा करता है कि मुझे खुदा ने खलीफ़ा बनाया है और घटनाओं ने उसका समर्थन भी किया कि जमाअत की एक बड़ी तादाद को उसके सामने झुका दिया। अब अगर दो परस्पर विपरीत कार्य करने वाले रहे तो फूट पड़ेंगी और एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं।

इसलिए तुम ग़ौर करो और मुझे राय दो कि क्या करना चाहिए। इस राय से मेरा उद्देश्य شَاوِرْهُم (शाविरहुम) पर अमल करना है। अन्यथा आदेश (فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) मेरे सामने है। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि अगर कोई मेरा साथ न दे तो खुदा मेरे साथ है।

मैं एक बार पुनः इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि अगर कोई बात माननी ही नहीं तो मशवरा का क्या फ़ायदा? यह बहुत छोटी सी बात है कि जब एक आदमी सोचता है तो उसके दिमाग़ में थोड़ी सी बातें आती हैं लेकिन अगर दो हज़ार आदमी कुर्�आन मजीद की आयतों पर ग़ौर करके उसके अर्थ एक सभा में बयान करें तो उनमें से कुछ ग़लत भी होंगे लेकिन इसमें भी तो सन्देह नहीं कि उनमें से बहुत से सही भी होंगे, अतः सही अर्थ स्वीकार कर लिए जाएँगे और ग़लत छोड़ दिए जाएँगे। इसी तरह ऐसे मशवरों में जो मशवरे सही होंगे वे स्वीकार कर

लिए जाएँगे। एक आदमी इतने सारे प्रस्ताव नहीं सोच सकता। एक ही समय में एक विषय पर बहुत से आदमी सोचेंगे तो इन्शाअल्लाह कोई फ़ायदेमन्द रास्ता निकल आएगा।

फिर मशवरा से यह भी तात्पर्य है कि तुम्हारी सोचने की शक्तियाँ व्यर्थ न हों, बल्कि क्रौमी कामों में मिलकर तुम में चिंतन और काम करने की ताकत पैदा हो। इसके अतिरिक्त एक और बात यह है कि इस प्रकार के मशवरों से भविष्य में लोग खिलाफ़त के लिए तैयार होते रहते हैं। अगर खलीफ़ा लोगों से मशवरा ही न ले तो यह परिणाम निकले कि क्रौम में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही न रहे और अगला खलीफ़ा मूर्ख ही हो, क्योंकि उसे कभी काम करने का मौक़ा नहीं दिया गया। हमारी पिछली हुकूमतों में यही कमी थी। शाही खानदान के लोगों को मशवरा में शामिल न किया जाता था जिसका परिणाम यह निकलता कि उनके दिमाग़ मुश्किलों के समाधान के अभ्यस्त न होते थे और धीरे-धीरे हुकूमत चली जाती थी। इसलिए मशवरा लेने से यह भी उद्देश्य है कि प्रतिभावान् लोगों की धीरे-धीरे तरबियत हो सके ताकि आगे आने वाले समय में वे काम सँभाल सकें। जब लोगों से मशवरा लिया जाता है तो लोगों को सोचने का मौक़ा मिलता है और इससे उनकी सलाहियतें निखरती हैं। ऐसे मशवरे में यह भी फ़ायदा होता है कि हर आदमी को अपनी राय के छोड़ने में आसानी होती है और स्वभावों में ज़िद और हठधर्मी नहीं पैदा होती।

इस समय जो कठिनाइयाँ हैं वे इस प्रकार की हैं कि बाहर से पत्र आते हैं कि उपदेशक भेज दो। अब जो अन्जुमन के मुलाज़िम हैं उन्हें कौन भेजे? अन्जुमन तो खलीफ़ा के मातहत है नहीं। हज़रत खलीफ़ा अब्बल मुलाज़िमों को भेज देते थे और वे ऑन ड्यूटी समझे जाते थे। हमारे पास काम करने वाले आदमी थोड़े हैं इसलिए यह कठिनाइयाँ सामने

आती हैं। या एक आदमी इसलिए आता है कि मुझे अमुक आवश्यकता है इसलिए मुझे कुछ दो। पिछले दिनों मुंगेर वालों ने लिखा कि यहाँ मस्जिद का झगड़ा है और जमाअत कमज़ोर है, मदद करो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मैंने देखा है कि मस्जिदों के बारे में बड़ी एहतियात करते। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह भी बड़ी कोशिश किया करते थे। कपूरथला की मस्जिद का मुकदमा था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर मैं सच्चा हूँ तो यह मस्जिद अवश्य मिलेगी। अब ऐसे मौके पर मैं तो यह पसन्द नहीं कर सकता कि उनकी मदद न की जाए, इसलिए मुझे रुपया भेजना ही पड़ा। या उदाहरण के तौर पर कोई और फ़िल्ना हो और कोई मानने वाला न हो तो क्या हो। इस प्रकार की कठिनाइयाँ इस मतभेद के कारण सामने आ रही हैं और आँँगी। अल्लाह तआला से मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मुझे दृढ़ विश्वास है कि वह चमत्कारिक रूप से कोई ताक़त दिखाएगा। लेकिन यह भौतिक जगत है इसलिए मुझको भौतिक चीज़ों से भी काम लेना चाहिए।

मैं जो कुछ करूँगा ख़ुदा के ख़ौफ़ से करूँगा। मुझे इस बात की परवाह न होगी कि ज़ैद या बकर उसके बारे में क्या कहता है। अतः मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं ख़ुदा से डरकर करता हूँ, अगर मेरे दिल में ईमान है कि ख़ुदा है तो फिर मैं जो कुछ करता हूँ नेकनीयती से कर रहा हूँ और करूँगा और यदि मैं नऊजुबिल्लाह ख़ुदा से नहीं डरता तो फिर तुम कौन हो कि मैं तुमसे डरूँ। मैं तुमसे केवल मशवरा पूछता हूँ कि इन कठिनाइयों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है?

लोग कहते हैं कि ख़लीफ़ा ने अन्जुमन को कभी कोई आदेश नहीं दिया लेकिन मैं सेक्रेटरी के दफ़्तर पर ख़ड़ा हूँ शायद ही कोई एजेण्डा निकला होगा जिसमें “ख़लीफ़तुल मसीह के आदेशानुसार” न लिखा हो।

यह वृत्तान्त बड़ी अधिकता से मौजूद हैं और इसके प्रमाण में अन्जुमन के रजिस्टर और कार्यवाहियाँ मौजूद हैं उस समय दफ्तर सेक्रेटरी के हेड क्लर्क मुंशी मुहम्मद नसीब साहिब ने खड़े होकर बुलन्द स्वर में कहा कि :-

### **मैं गवाही देता हूँ कि यह बिल्कुल सत्य है**

इस प्रकार के आरोप व्यर्थ हैं और घटनाओं के विरुद्ध हैं। हाँ इस समय कुछ कठिनाइयाँ सामने आयी हैं और आगे दूसरी आवश्यकताएँ भी सामने आयेंगी। इसनिए मैंने उचित समझा कि मित्र गँौर करें। मैंने इस मौजूदा मतभेद के बारे में कुछ प्रस्ताव सोचे हैं मेरी अनुपस्थिति में इन पर गँौर किया जाए और मुझे सूचित किया जाए, ताकि हर आदमी आजादी से राय दे सके। आप लोग इन निम्नलिखित प्रस्तावों पर गँौर करें :-

**(क)** खलीफ़ा और अन्जुमन के झगड़े निपटाने का बेहतर ढंग क्या है। अन्जुमन से यह तात्पर्य है कि अन्जुमन के वे मेम्बर जिन्होंने बैअत नहीं की और अपने आपको अन्जुमन कहते हैं, इसलिए मैंने अन्जुमन कहा है केवल बैअत करने वाले ही राय दें।

**(ख)** जिन लोगों ने मेरी बैअत कर ली है मैं उन्हें आदेश देता हूँ कि वे हर प्रकार का चन्दा मेरे माध्यम से दें। यह फ़ैसला मैंने एक रोअया(स्वप्न) के आधार पर किया है जो 08 मार्च सन् 1907 का है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने हाथ की लिखी हुई अपनी कापी में दर्ज है। उसके आगे-पीछे हज़रत साहिब के अपने इल्हाम भी दर्ज हैं और वह कापी अब भी मौजूद है। यह एक लम्बी ख़बाब है जिसमें मैंने देखा कि मुहम्मद चिराग़ की तरफ से एक पार्सल मेरे नाम आया है उस पर लिखा है, महमूद अहमद। परमेश्वर उसका भला करे। जब उसको खोला तो वह रूपयों से भरा हुआ सन्दूक बन गया। एक

कहने वाला कहता है कि कुछ तुम रख लो, कुछ हजरत साहब को दे दो, कुछ सदर अन्जुमन अहमदिया को दे दो। फिर हजरत साहब कहते हैं कि महमूद कहता है कि “कशफी रंग में आप मुझे दिखाए गए और चिराग का अर्थ सूरज समझाया गया तो मुहम्मद चिराग का यह अर्थ हुआ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) जो कि सूरज है उसकी ओर से यह आया है।”

अतः यह सात वर्ष पहले की एक रोअया (स्वप्न) है और हजरत साहिब के अपने हाथ की लिखी हुई है जिससे साफ़ मालूम होता है कि किसी समय सदर अन्जुमन अहमदिया को मेरे माध्यम से रुपया मिलेगा, हमें जो कुछ मिलता है आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए जो रुपया आता है वह मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही भेजते हैं। हजरत साहिब को देने से यह अभिप्राय मालूम होता है कि आपके पैग़ाम को फैलाने में खर्च किया जाए। कुर्�আন শরীফ কী এসী আয়তোঁ কে সহাবা নে যহী অর্থ কিএ হেঁ। यह एक सच्ची ख़बाब है नहीं तो क्या मैंने 6 साल पहले इन बातों को अपनी तरफ़ से गढ़ लिया था और खुदा तआला ने उसे पूरा भी कर दिया। **নাঊজুবিল্লাহ**

इसलिए जिन्होंने मेरे हाथ पर बैअत किया है उन्हें हर प्रकार के चन्दे मेरे पास भेजने चाहिए।

**(ग)** जब तक अन्जुमन का पूरी तरह निर्णय न हो जाए, इशाअत-ए-इस्लाम और ज़कात का रुपया मेरे ही पास आना चाहिए जो उपदेशकों और कुछ अन्य उन समसामयिक आवश्यकताओं के लिए खर्च होगा जो इशाअत-ए-इस्लाम से सम्बन्ध रखती हैं या ज़कात के खर्चों से सम्बन्धित हैं।

**(घ)** मஜ्लिस शूरा का ऐसा ढंग हो कि उसमें सारी जमाअत का

मशवरा हो। आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और उनके जानशींन खलीफ़ाओं के ज़माने में ऐसा ही होता था। क्या वजह है कि रुपया तो क्रौम से लिया जाए और उसके खर्च करने के बारे में क्रौम से पूछा भी न जाए, हो सकता है कि कुछ मामले विशिष्ट हों, उनके अतिरिक्त सारी जमाअत से मशवरा होना चाहिए। इसलिए सोचना यह है कि इस मशवरे का क्या ढंग हो।

(ड) इस समय इस बात की भी आवश्यकता है कि अन्जुमन में दो मेम्बर और हों। क्योंकि कभी-कभी ऐसी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं कि उनका निर्णय नहीं होता और अब मतभेद के कारण ऐसी कठिनाइयों का पैदा होना अधिक संभव है। इसके अलावा मुझे भी जाना पड़ता है और वहाँ कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए दो नहीं बल्कि तीन मेम्बर और होने चाहिए और ये मेम्बर आलिम (विद्वान) होने चाहिए।

(छ) हमारे मित्रों को चाहिए कि जहाँ कहीं झगड़ा-फ़साद हो, वहाँ जाकर दूसरों को समझाएँ और उसको दूर करें। इसके लिए केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान पर ही भरोसा न करें बल्कि खुदा तआला के दिए हुए सामर्थ्य और उसकी कृपा को प्रधानता दें और इसके लिए बहुत अधिक दुआएँ करें। अतः अपने-अपने इलाकों में घूम-फिरकर कोशिश करो और ज़रूरी हालतों से मुझे अवगत कराते रहो।

यह वे विषय हैं जिन पर आप लोगों को ग़ौर करना चाहिए। इनमें फ़ैसला इस तरह पर हो कि यहाँ जो मौलवी सैयद मुहम्मद अहसन साहिब रहते हैं जिनका हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और हजरत खलीफ़तुल मसीह अब्बल भी सम्मान किया करते थे और वह अपनी विद्वता और जमाअत की सेवा के कारण इस योग्य हैं कि हम उनका सम्मान करें, वह इस जलसा-ए-शूरा के सभापति हों। मैं इस जलसा में

न हूँगा ताकि हर आदमी आज्ञादी से बात कर सके। जो बात पारस्परिक मशवरा और बहस के बाद तय हो वह लिख ली जाए, फिर मुझे उससे सूचित कर दो। दुआओं के बाद खुदा तआला जो मेरे दिल में डालेगा उस पर अमलदरामद होगा। किसी मामले पर गँौर करते और राय देते समय तुम यह बिल्कुल न सोचो कि तुम्हारी बात ज़रूर मानी जाए, बल्कि तुम खुदा तआला की खुशी पाने के लिए सच्चे दिल से एक मशवरा दे दो। अगर वह ग़लत भी होगा तो भी तुम्हें खुदा की ओर से सवाब(प्रतिफल) मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी यह समझता है कि उसकी बात अवश्य मानी जाए तो फिर उसको कोई सवाब (प्रतिफल) नहीं मिलेगा।

मेरे इन मशवरों के अलावा नवाब साहिब के मशवरों पर गँौर किया जाए शेख याकूब अली साहिब ने भी कुछ मशवरे लिखे हैं। उनमें से तीन के पेश करने की मैंने इजाजत दे दी है उन पर भी गँौर किया जाए।

मैं पुनः कहता हूँ कि मौलवी साहिब का उनके ज्ञान और रुतबा के लिहाज़ से जो दर्जा है वह तुम जानते हो। हज़रत साहिब भी उनका सम्मान किया करते थे। इसलिए हर आदमी जो बोलना चाहे वह मौलवी साहिब से इजाजत लेकर बोले। एक बोल चुके तो फिर दूसरा फिर तीसरा बोले। ऐसा न हो कि एक ही समय में दो-तीन खड़े हो जाएँ। जिसको वह अनुमति दें वही आदमी बोले। नवाब साहिब या मुंशी फ़र्जन्द अली साहिब उस मज्लिस के सेक्रेट्री के काम को अपने ज़िम्मे लें, वह लिखते जाएँ और किसी मामले पर जो बातचीत हो उसका आखिरी नतीजा सुना दिया जाए। अगर किसी विषय पर दो राय हों तो दोनों को लिख लिया जाए। अब आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ क्योंकि फिर लोगों ने अभी भोजन करना है। क़ादियान के सब लोग मिलकर खाना खिलाएँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ न हो, पानी का प्रबन्ध अच्छी तरह से

हो। खुद भी दुआ करें, मेहमान भी दुआ करें। सफर की दुआ कुबूल होती है। इस मशवरा और दुआ के साथ जो काम होगा वह खुदा की तरफ से होगा।

